Jai Maa Saraswati Gyandayini
An International Multidisciplinary e-Journal
(Peer-reviewed, Open Access & Indexed)
Journal home page: www.jmsjournals.in, **ISSN: 2454-8367**
Vol. 11, Issue-III, Jan. 2026

भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार और पुनर्वासः शिवपुरी जिले के विशेष संदर्भ में एक अनुभवाश्रित अध्ययन

Rights and Rehabilitation of Persons with Disabilities in India: An Empirical Study with Special Reference to Shivpuri District

Dr. Mahesh Prasad [a,*],

[a]*Assistant Professor (Law), Govt. Shrimant Madhavrao Scindia P.G. College, Shivpuri, Affiliated to Tatya Tope Vishwavidyalaya, Guna (M.P.), India.*

KEYWORDS

दिव्यांग व्यक्ति, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016, पुनर्वास; दिव्यांग अधिकार, सामाजिक समावेशन, शिवपुरी जिला, अनुभवजन्य अध्ययन, अधिकार–आधारित दृष्टिकोण, दिव्यांग कल्याण, भारत।

ABSTRACT

दिव्यांगता व्यक्ति को समाज के साथ चलने में अशमर्थ बनाती है इसलिए दिव्यांग व्यक्तियों के द्वारा अधिकांशता उनके मन में हीन भावना पैदा हो जाती है। इसलिए आवश्यक है कि दिव्यांग व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि उनके अधिकारों की सुरक्षा के साथ–साथ उनके समग्र पुनर्वास करने की भी वयवस्था करना किसी भी लोकतांत्रिक एवं समाजवादी देश की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों को संवैधानिक प्रावधानों, संयुक्त राष्ट्र दिव्यांग अधिकार अभिसमय (यूएनसीआरपीडी) तथा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के माध्यम से संस्थागत मान्यता प्रदान की गई है। इसके बावजूद अधिकारों की वास्तविक उपलब्धता, पुनर्वास सेवाओं तक पहुँच तथा सामाजिक समावेशन की स्थिति में क्षेत्रीय स्तर पर पर्याप्त असमानताएँ विद्यमान हैं। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के विशेष संदर्भ में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की व्यावहारिक स्थिति तथा पुनर्वास व्यवस्थाओं की प्रभावशीलता का अनुभवजन्य विश्लेषण करना है।

1. परिचय

1.1 अध्ययन की पृष्ठभूमि

दिव्यांगता केवल व्यक्ति की शारीरिक अथवा मानसिक सीमाओं का परिणाम नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय परिस्थितियों से भी प्रभावित होती है। पारंपरिक दृष्टिकोण में दिव्यांगता को चिकित्सा एवं कल्याण की समस्या के रूप में देखा जाता था, जबकि आधुनिक मानवाधिकार आधारित दृष्टिकोण इसे सामाजिक न्याय और समान अवसरों के प्रश्न के रूप में स्वीकार करता है (यूनाइटेट नेशन, 2006)। सामाजिक मॉडल के अनुसार, समाज में विद्यमान भौतिक अवरोध, नकारात्मक दृष्टिकोण तथा संस्थागत असमानताएँ दिव्यांग व्यक्तियों की पूर्ण एवं प्रभावी भागीदारी में बाधा उत्पन्न करती हैं (शेक्सपियर, 2018)। भारत में भी दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों को संवैधानिक मूल्यों, सामाजिक न्याय की अवधारणा तथा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,, 2016 के माध्यम से सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया गया है (गर्वमेंट ऑफ इण्डिया, 2016)। तथापि, विधिक प्रावधानों और उनके वास्तविक क्रियान्वयन के मध्य अभी भी पर्याप्त अंतर विद्यमान है, जिसके कारण जिला स्तर पर अनुभवजन्य अध्ययनों की आवश्यकता बढ़ जाती है।

Corresponding author
***E-mail:** rayom.com@gmail.com (Dr. Mahesh Prasad).
https://orcid.org/0009-0008-7248-6552
DOI: https://doi.org/10.53724/jmsg/v11n3.04
Received 10th Nov. 2025; Accepted 20th Dec. 2025
Available online 30th Jan. 2026
2454-8367/©2026 The Journal. Published by Jai Maa Saraswati Gyandayini e-Journal (Publisher: Welfare Universe). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

1.2 भारत में दिव्यांगता की वर्तमान स्थिति

भारत में दिव्यांग व्यक्तियों की स्थिति बहुआयामी चुनौतियों से प्रभावित होती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में लगभग 2.68 करोड़ व्यक्ति दिव्यांगता के साथ जीवन–यापन कर रहे थे, जो कुल जनसंख्या का लगभग 2.21 प्रतिशत थे (आफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जेनरल एण्ड सेन्सर कमिश्नर, इण्डिया, 2011)। हालांकि, विशेषज्ञों का मत है कि सामाजिक कलंक, पहचान की सीमित प्रक्रियाओं तथा रिपोर्टिंग की समस्याओं के कारण वास्तविक संख्या इससे अधिक हो सकती है (सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, 2016)। दिव्यांग व्यक्तियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा तथा सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुनर्वास सेवाओं की सीमित उपलब्धता, आर्थिक संसाधनों की कमी तथा जागरूकता के अभाव के कारण उनकी स्थिति और अधिक जटिल हो जाती है (विश्व स्वास्थ्य संगठन, 2011)। इसलिए दिव्यांगता के प्रश्न को केवल स्वास्थ्य समस्या न मानकर समावेशी विकास के व्यापक संदर्भ में समझना आवश्यक है।

1.3 दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों का वैश्विक एवं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण पहल संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2006 में स्वीकृत ''विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन (यूएनसीआरपीडी)'' रही है। इस अभिसमय ने दिव्यांग व्यक्तियों को समाज के समान अधिकार प्राप्त नागरिकों के रूप में मान्यता प्रदान करते हुए गरिमा, स्वायत्तता, गैर–भेदभाव, समान अवसर तथा पूर्ण सहभागिता के सिद्धांतों पर बल दिया (यूनाइटेड नेशन्स, 2006)। भारत ने वर्ष 2007 में इस अभिसमय का अनुमोदन किया और इसके अनुरूप राष्ट्रीय कानूनों में संशोधन की प्रक्रिया प्रारंभ की (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, 2023)।

राष्ट्रीय स्तर पर ''दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016'' एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस अधिनियम ने दिव्यांगता की मान्यता प्राप्त श्रेणियों की संख्या बढ़ाकर 21 कर दी तथा शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक सहभागिता, न्याय तक पहुँच और सामाजिक सुरक्षा जैसे अधिकारों को अधिक व्यापक रूप से परिभाषित किया (गर्वमेंट ऑफ इण्डिया, 2016)। यह अधिनियम समुचित सुविधाओं, सार्वभौमिक अभिगम्यता तथा समावेशी शिक्षा जैसे सिद्धांतों को भी बढ़ावा देता है। तथापि, अनेक अध्ययनों में यह इंगित किया गया है कि अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक क्षमता, संसाधनों की उपलब्धता तथा सामाजिक जागरूकता को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है (मथ और गौड़ा, 2019)।

1.4 अध्ययन की आवश्यकता

दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित अधिकांश नीतियाँ राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर पर निर्मित की जाती हैं, जबकि उनका वास्तविक प्रभाव स्थानीय समुदायों में दिखाई देता है। उपलब्ध साहित्य से ज्ञात होता है कि जिला स्तर पर अधिकारों की उपलब्धता, पुनर्वास सेवाओं की गुणवत्ता तथा सामाजिक समावेशन की स्थिति का समग्र विश्लेषण करने वाले अध्ययन अपेक्षाकृत सीमित हैं (विश्व स्वास्थ्य संगठन, 2011)। विशेष रूप से अर्ध–शहरी एवं ग्रामीण जिलों में दिव्यांग व्यक्तियों के अनुभवों, सरकारी योजनाओं तक उनकी पहुँच तथा पुनर्वास कार्यक्रमों की प्रभावशीलता से संबंधित तथ्यात्मक जानकारी का अभाव है।

इस अध्ययन का उद्देश्य शिवपुरी जिले के संदर्भ में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और पुनर्वास की

वास्तविक स्थिति का विश्लेषण करना है। यह अध्ययन न केवल दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के क्रियान्वयन की स्थिति को समझने में सहायक होगा, बल्कि स्थानीय प्रशासन, नीति–निर्माताओं तथा सामाजिक संगठनों को अधिक प्रभावी एवं अधिकार–आधारित हस्तक्षेप विकसित करने हेतु आवश्यक साक्ष्य भी उपलब्ध कराएगा।

1.5 शिवपुरी जिले के चयन का आधार

शिवपुरी जिला मध्य प्रदेश का एक प्रमुख ग्रामीण बहुल जिला है, जहाँ सामाजिक, आर्थिक एवं भौगोलिक विविधताओं के साथ विकास संबंधी अनेक चुनौतियाँ विद्यमान हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन एवं सामाजिक सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं की सीमित उपलब्धता दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन को प्रभावित करती है। इसलिए दिव्यांग अधिकारों एवं पुनर्वास सेवाओं की प्रभावशीलता का स्थानीय स्तर पर अध्ययन आवश्यक है। शिवपुरी जिले का चयन इसलिए किया गया कि यहाँ दिव्यांग व्यक्तियों के अनुभवों, चुनौतियों तथा पुनर्वास संबंधी आवश्यकताओं का विश्लेषण कर व्यवहारिक एवं नीतिगत सुझाव प्रस्तुत किए जा सकें।

2. शोध समस्या

दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा एवं उनके समग्र पुनर्वास की सुनिश्चितता एक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है। भारत में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों को शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और समान अवसर प्रदान करने का प्रयास किया गया है। इसके बावजूद अधिकारों के वास्तविक क्रियान्वयन और लाभार्थियों तक उनकी पहुँच के बीच अभी भी एक महत्वपूर्ण अंतर विद्यमान है।

विशेष रूप से ग्रामीण एवं अर्ध–शहरी क्षेत्रों में पुनर्वास सेवाओं की सीमित उपलब्धता, योजनाओं के प्रति अपर्याप्त जागरूकता, सामाजिक भेदभाव तथा सुलभ अवसंरचना का अभाव दिव्यांग व्यक्तियों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण में बाधक बनता है। शिवपुरी जिले के संदर्भ में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों, पुनर्वास सेवाओं की उपलब्धता तथा सरकारी योजनाओं के प्रभाव से संबंधित अनुभवजन्य अध्ययनों का अभाव देखा जाता है।

इसी परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत अध्ययन शिवपुरी जिले में दिव्यांग व्यक्तियों की वास्तविक स्थिति, उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता, पुनर्वास सेवाओं की उपयोगिता तथा सामाजिक समावेशन की चुनौतियों का विश्लेषण करता है। यह अध्ययन न केवल स्थानीय स्तर पर विद्यमान समस्याओं एवं संभावनाओं को उजागर करेगा, बल्कि दिव्यांग–अनुकूल नीतियों एवं प्रभावी पुनर्वास कार्यक्रमों के निर्माण हेतु उपयोगी सुझाव भी प्रदान करेगा।

3. अध्ययन के उद्देश्य

(1) भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की संवैधानिक एवं विधिक स्थिति का विश्लेषण करना।

(2) शिवपुरी जिले में पुनर्वास सेवाओं की उपलब्धता एवं प्रभावशीलता का अध्ययन करना।

(3) दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा अधिकारों के उपयोग में आने वाली बाधाओं की पहचान करना।

(4) पुनर्वास कार्यक्रमों के सामाजिक एवं आर्थिक प्रभावों का मूल्यांकन करना।

(5) नीति–निर्माण हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

4. शोध प्रश्न

(1) शिवपुरी जिले में दिव्यांग व्यक्तियों को कौन–कौन से अधिकार व्यवहारिक रूप से प्राप्त हैं?

(2) पुनर्वास सेवाओं की पहुँच एवं गुणवत्ता कैसी है?

(3) अधिकारों के क्रियान्वयन में प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

(4) पुनर्वास कार्यक्रम दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता को किस सीमा तक प्रभावित करते हैं?

5. परिकल्पनाएँ

H_1: दिव्यांग अधिकारों के प्रति जागरूकता का स्तर पुनर्वास सेवाओं के उपयोग को प्रभावित करता है।

H_2: पुनर्वास सेवाओं की उपलब्धता और दिव्यांग व्यक्तियों के सामाजिक समावेशन के मध्य सकारात्मक संबंध है।

6. साहित्य समीक्षा

6.1 दिव्यांगता की अवधारणा एवं सिद्धांत

दिव्यांगता की अवधारणा समय के साथ निरंतर विकसित होती रही है। प्रारंभिक दौर में दिव्यांगता को मुख्यतः चिकित्सीय समस्या के रूप में देखा जाता था, जिसके अनुसार व्यक्ति की शारीरिक अथवा मानसिक अक्षमता को उसकी सीमाओं का प्रमुख कारण माना जाता था। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य उपचार, देखभाल एवं कार्यात्मक सुधार तक सीमित था (ओलीवर, 1990)। हालांकि, इस मॉडल की आलोचना इस आधार पर की गई कि यह सामाजिक एवं पर्यावरणीय कारकों की उपेक्षा करता है।

इसके पश्चात् सामाजिक मॉडल का विकास हुआ, जिसने यह प्रतिपादित किया कि दिव्यांगता का वास्तविक कारण व्यक्ति की अक्षमता नहीं, बल्कि समाज में विद्यमान संरचनात्मक बाधाएँ, नकारात्मक दृष्टिकोण तथा अनुपयुक्त नीतियाँ हैं (शेक्सपियर, 2018)। इस दृष्टिकोण ने दिव्यांगता को सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार के प्रश्न के रूप में स्थापित किया। इसी क्रम में मानवाधिकार आधारित दृष्टिकोण ने यह स्पष्ट किया कि दिव्यांग व्यक्तियों को समाज के अन्य नागरिकों के समान अधिकार प्राप्त हैं और उनकी गरिमा, स्वतंत्रता तथा समान अवसरों की रक्षा राज्य का दायित्व है (यूनाईटेट नेशन्स, 2006)।

इसके अतिरिक्त, सेन (सेन, 1999) द्वारा प्रतिपादित ''क्षमता दृष्टिकोण'' भी दिव्यांगता अध्ययन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमताओं के विकास तथा जीवन के महत्वपूर्ण विकल्पों को चुनने के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। इस प्रकार, समकालीन विमर्श में दिव्यांगता को केवल चिकित्सीय अथवा कल्याणकारी विषय न मानकर सामाजिक समावेशन, मानवाधिकार एवं विकास के व्यापक संदर्भ में समझा जाता है।

6.2 दिव्यांग अधिकारों पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2006 में स्वीकृत ''कन्वेन्शन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिजाविलिटि (यूएनसीआरपीडी)'' को एक ऐतिहासिक दस्तावेज माना जाता है। इस अभिसमय ने गैर–भेदभाव, समानता, स्वतंत्र जीवन, शिक्षा, रोजगार तथा सामाजिक सहभागिता के अधिकारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया (यूनाइटेट नेशन, 2006)। विश्व स्वास्थ्य संगठन (उब्ल्यूएचओ) ने अपनी रिपोर्ट में यह इंगित किया कि दिव्यांग व्यक्तियों को स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक पहुँच में असमानताओं का

सामना करना पड़ता है, जिसके कारण वे सामाजिक बहिष्करण के जोखिम में रहते हैं (विश्व स्वास्थ्य संगठन, 2011)।

भारतीय संदर्भ में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों को संस्थागत रूप से सुदृढ़ बनाने की दिशा में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,, 2016 एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। मथ और गौडा (2019) ने इस अधिनियम का विश्लेषण करते हुए उल्लेख किया कि यद्यपि इसमें दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों का व्यापक विस्तार किया गया है, तथापि इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु संस्थागत क्षमता निर्माण, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता तथा जागरूकता अभियानों की आवश्यकता है। इसी प्रकार, मेहरोत्रा (2013) ने भारतीय सामाजिक नीतियों का विश्लेषण करते हुए पाया कि दिव्यांगता से संबंधित कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ अक्सर सबसे अधिक वंचित समूहों तक प्रभावी ढंग से नहीं पहुँच पाता है।

राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि अधिकार–आधारित नीतियों के निर्माण के बावजूद दिव्यांग व्यक्तियों की वास्तविक स्थिति में सुधार के लिए स्थानीय स्तर पर प्रभावी कार्यान्वयन तंत्र एवं समुदाय आधारित हस्तक्षेप आवश्यक हैं।

6.3 पुनर्वास संबंधी पूर्ववर्ती शोध

पुनर्वास का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों की कार्यात्मक क्षमता में वृद्धि, सामाजिक समावेशन को प्रोत्साहन तथा आत्मनिर्भरता के अवसरों का विस्तार करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (2011) के अनुसार पुनर्वास सेवाएँ तभी प्रभावी हो सकती हैं, जब वे समुदाय की आवश्यकताओं के अनुरूप, सुलभ तथा बहुआयामी हों। समुदाय आधारित पुनर्वास को विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए एक प्रभावी रणनीति माना गया है।

मन्नान, मैकलाचलन और मैकवे (2012) ने समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए पाया कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों की सामाजिक सहभागिता तथा सेवाओं तक पहुँच में सकारात्मक परिवर्तन देखा गया। वहीं, दीपक (2011) ने यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया कि पुनर्वास कार्यक्रमों की सफलता में स्थानीय समुदाय की सहभागिता, परिवार का सहयोग तथा प्रशासनिक प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

भारतीय संदर्भ में पुनर्वास संबंधी अधिकांश अध्ययन विशेष विद्यालयों, व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों अथवा विशिष्ट प्रकार की दिव्यांगताओं तक सीमित रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध पुनर्वास सेवाओं की गुणवत्ता, सरकारी योजनाओं की पहुँच तथा दिव्यांग व्यक्तियों के अनुभवों पर आधारित अनुभवजन्य अध्ययनों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। विशेष रूप से जिला स्तर पर पुनर्वास सेवाओं की प्रभावशीलता एवं अधिकारों के उपयोग के मध्य संबंधों का समग्र विश्लेषण अभी भी अपर्याप्त है।

6.4 शोध–अंतराल

उपलब्ध साहित्य से ज्ञात होता है कि दिव्यांगता, दिव्यांग अधिकारों तथा पुनर्वास संबंधी विषयों पर पर्याप्त शोध कार्य किए गए हैं। अधिकांश अध्ययन नीतिगत, कानूनी एवं सैद्धांतिक पक्षों पर केंद्रित रहे हैं। हालांकि, जिला स्तर पर दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की वास्तविक स्थिति, पुनर्वास सेवाओं की उपलब्धता तथा सामाजिक समावेशन के अनुभवों का अनुभवजन्य विश्लेषण अपेक्षाकृत कम देखने को मिलता है। विशेष रूप से शिवपुरी जिले के संदर्भ में इस विषय पर व्यापक अध्ययन का अभाव है। प्रस्तुत अध्ययन इसी शोध–अंतराल को भरने का प्रयास करता है तथा स्थानीय स्तर पर दिव्यांग व्यक्तियों की चुनौतियों,

अधिकारों एवं पुनर्वास की वास्तविक स्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

7. सैद्धांतिक एवं वैचारिक रूपरेखा

किसी भी अनुभवजन्य अध्ययन की वैचारिक दृढ़ता उसके सैद्धांतिक आधार पर निर्भर करती है। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य शिवपुरी जिले के विशेष संदर्भ में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों एवं पुनर्वास की स्थिति का विश्लेषण करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए दिव्यांगता के सामाजिक, अधिकार–आधारित तथा विकासोन्मुख आयामों को समग्र रूप से समझना आवश्यक है। अतः इस अध्ययन में ''सामाजिक मॉडल'', ''मानवाधिकार दृष्टिकोण'' तथा ''अमर्त्य सेन का क्षमता दृष्टिकोण'' को सैद्धांतिक आधार के रूप में अपनाया गया है। ये तीनों दृष्टिकोण मिलकर दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों, अवसरों तथा सामाजिक समावेशन की बहुआयामी व्याख्या प्रस्तुत करते हैं।

7.1 विकलांगता का सामाजिक मॉडल

दिव्यांगता के सामाजिक मॉडल का विकास 1970 और 1980 के दशक में दिव्यांग अधिकार आंदोलनों के परिणामस्वरूप हुआ। इस मॉडल के प्रमुख प्रतिपादकों में मिचैल ओलीवर का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सामाजिक मॉडल के अनुसार, दिव्यांगता का कारण केवल व्यक्ति की शारीरिक अथवा मानसिक अक्षमता नहीं होती, बल्कि समाज द्वारा निर्मित भौतिक, संस्थागत तथा मनोवैज्ञानिक बाधाएँ होती हैं, जो दिव्यांग व्यक्तियों की पूर्ण एवं प्रभावी सहभागिता में अवरोध उत्पन्न करती हैं (ओलीवर, 1990)।

इस दृष्टिकोण के अनुसार, यदि सार्वजनिक भवनों में रैम्प, सुलभ शौचालय, ब्रेल संकेतक, सांकेतिक भाषा की सुविधाएँ तथा समावेशी नीतियाँ उपलब्ध हों, तो अनेक प्रकार की दिव्यांगताओं के कारण उत्पन्न सामाजिक अवरोधों को कम किया जा सकता है। शेक्सपियर (2018) ने यह स्वीकार किया कि सामाजिक मॉडल ने दिव्यांगता को व्यक्तिगत त्रासदी के बजाय सामाजिक न्याय के प्रश्न के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यद्यपि उन्होंने यह भी तर्क दिया कि दिव्यांगता की जटिलताओं को समझने के लिए जैविक एवं सामाजिक दोनों आयामों को ध्यान में रखना आवश्यक है।

प्रस्तुत अध्ययन में सामाजिक मॉडल का उपयोग शिवपुरी जिले में दिव्यांग व्यक्तियों के समक्ष उपस्थित सामाजिक एवं पर्यावरणीय बाधाओं की पहचान करने के लिए किया गया है। यह समझने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार भौतिक अवसंरचना, सामाजिक दृष्टिकोण तथा संस्थागत व्यवस्थाएँ उनके अधिकारों के उपयोग एवं पुनर्वास की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं।

7.2 मानवाणिकार दृष्टिकोण

मानवाधिकार दृष्टिकोण दिव्यांग व्यक्तियों को दया अथवा कल्याण के पात्र के रूप में नहीं, बल्कि समान अधिकारों वाले नागरिकों के रूप में स्वीकार करता है। इस दृ ष्टिकोण का मूल आधार यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा, स्वतंत्रता, समानता तथा सामाजिक सहभागिता का अधिकार प्राप्त है और राज्य का दायित्व है कि वह इन अधिकारों की रक्षा एवं संवर्धन सुनिश्चित करे (यूनाइटेट नेशन, 2006)।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत ''कन्वेन्शन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिजाविलिटिज (यूएनसीआरपीडी)'' ने इस दृष्टिकोण को वैश्विक स्तर पर संस्थागत मान्यता प्रदान की। इस अभिसमय के प्रमुख सिद्धांतों में गैर–भेदभाव, अवसरों की समानता, स्वतंत्र जीवन, सुलभता तथा समाज में पूर्ण एवं प्रभावी सहभागिता सम्मिलित हैं (यूनाइटेट नेशन, 2006)। भारत ने इस

अभिसमय का अनुमोदन करते हुए ''दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,, 2016'' लागू किया, जिसके अंतर्गत शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, न्याय तक पहुँच तथा राजनीतिक सहभागिता से संबंधित अधिकारों का विस्तार किया गया (गर्वमेंट ऑफ इण्डिया, 2016)।

प्रस्तुत अध्ययन में मानवाधिकार दृष्टिकोण का उपयोग इस बात का विश्लेषण करने के लिए किया गया है कि शिवपुरी जिले में दिव्यांग व्यक्तियों को विधिक रूप से प्रदत्त अधिकार व्यवहारिक स्तर पर किस सीमा तक उपलब्ध हैं। साथ ही, यह भी परीक्षण किया गया है कि अधिकारों के क्रियान्वयन में कौन–कौन सी संरचनात्मक एवं प्रशासनिक बाधाएँ विद्यमान हैं।

7.3 क्षमता दृष्टिकोण

अमर्त्य सेन द्वारा प्रतिपादित क्षमता दृष्टिकोण विकास के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण वैचारिक आधार प्रदान करता है। सेन (1999) के अनुसार, विकास का वास्तविक उद्देश्य व्यक्तियों की क्षमताओं का विस्तार करना है, ताकि वे अपनी पसंद के अनुरूप जीवन जीने के लिए आवश्यक अवसरों का उपयोग कर सकें। इस दृष्टिकोण में केवल संसाधनों की उपलब्धता को पर्याप्त नहीं माना जाता, बल्कि यह देखा जाता है कि व्यक्ति उन संसाधनों का उपयोग करके वास्तव में क्या कर सकता है और क्या बन सकता है।

दिव्यांग व्यक्तियों के संदर्भ में क्षमता दृष्टिकोण विशेष रूप से प्रासंगिक है, क्योंकि समान संसाधनों की उपलब्धता होने के बावजूद विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं के कारण व्यक्तियों की वास्तविक अवसर–संरचना भिन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए, शिक्षा या रोजगार के अवसर तभी सार्थक होंगे जब परिवहन, सहायक उपकरण, समुचित सुविधाएँ तथा सामाजिक समर्थन उपलब्ध हों। इस प्रकार, क्षमता दृष्टिकोण अधिकारों के वास्तविक उपयोग एवं जीवन की गुणवत्ता के मध्य संबंध को समझने में सहायता प्रदान करता है (सेन, 1999; मित्रा, 2006)।

प्रस्तुत अध्ययन में क्षमता दृष्टिकोण का उपयोग यह विश्लेषण करने के लिए किया गया है कि पुनर्वास सेवाएँ एवं सरकारी योजनाएँ शिवपुरी जिले के दिव्यांग व्यक्तियों की वास्तविक क्षमताओं और अवसरों के विस्तार में किस सीमा तक योगदान प्रदान करती हैं। यह दृष्टिकोण केवल अधिकारों की औपचारिक उपलब्धता के बजाय उनके वास्तविक प्रभाव का मूल्यांकन करने में सहायक सिद्ध होगा।

7.3.1 वैचारिक रूपरेखा

प्रस्तुत अध्ययन की वैचारिक रूपरेखा इस धारणा पर आधारित है कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों का प्रभावी क्रियान्वयन और पुनर्वास सेवाओं की उपलब्धता उनके सामाजिक समावेशन एवं जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। इस अध्ययन में निम्नलिखित प्रमुख घटकों के मध्य संबंधों का परीक्षण किया गया है–

- **स्वतंत्र चर–**
  - दिव्यांगता का प्रकार एवं गंभीरता,
  - अधिकारों के प्रति जागरूकता,
  - पुनर्वास सेवाओं की उपलब्धता,
  - सरकारी योजनाओं तक पहुँच,
  - सामाजिक एवं संस्थागत समर्थन।
- **आश्रित चर–**
  - सामाजिक समावेशन,
  - शिक्षा एवं रोजगार में सहभागिता,
  - आत्मनिर्भरता का स्तर,
  - जीवन की गुणवत्ता,
  - अधिकारों के वास्तविक उपयोग की स्थिति।

इन चरों के मध्य अंतर्संबंधों का विश्लेषण सामाजिक मॉडल, मानवाधिकार दृष्टिकोण तथा क्षमता दृष्टिकोण के आलोक में किया गया है, जिससे शिवपुरी जिले में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों एवं पुनर्वास की वास्तविक स्थिति का समग्र मूल्यांकन संभव हो सके।

8. भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों का विधिक परिप्रेक्ष्य

8.1 भारतीय संविधान एवं दिव्यांग अधिकार

भारतीय संविधान में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अलग से कोई विशिष्ट मौलिक अधिकार शीर्षक नहीं दिया गया है, परंतु संविधान के समानता, गरिमा, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय से संबंधित प्रावधान दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की आधारशिला प्रस्तुत करते हैं। अनुच्छेद 14 प्रत्येक व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण की गारंटी देता है, जबकि अनुच्छेद 15 राज्य को धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 16 लोक–नियोजन में अवसर की समानता से संबंधित है। ये संवैधानिक प्रावधान दिव्यांग व्यक्तियों के लिए गैर–भेदभाव और समान अवसर की वैधानिक पृष्ठभूमि तैयार करते हैं (भारतीय संविधान, 1950).

अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार केवल जीवित रहने तक सीमित नहीं है, बल्कि गरिमापूर्ण जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा, गतिशीलता और सामाजिक सहभागिता जैसे आयामों को भी अपने भीतर समाहित करता है। दिव्यांग व्यक्तियों के संदर्भ में यह अधिकार विशेष महत्व रखता है, क्योंकि उनकी सामाजिक भागीदारी तभी संभव है जब राज्य सुलभ वातावरण, समुचित सुविधाएँ और अवसरों की समानता सुनिश्चित करे। इसके अतिरिक्त, राज्य के नीति–निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 41 बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और दिव्यांगता की स्थिति में सार्वजनिक सहायता की व्यवस्था करने की दिशा में राज्य को निर्देशित करता है। इस प्रकार भारतीय संविधान दिव्यांग अधिकारों को समानता, सामाजिक सुरक्षा और मानवीय गरिमा के व्यापक ढाँचे में स्थापित करता है।

8.2 संयुक्त राष्ट्र दिव्यांग अधिकार अभिसमय

दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के वैश्विक संरक्षण में संयुक्त राष्ट्र दिव्यांग अधिकार अभिसमय, 2006 एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज है। इस अभिसमय ने दिव्यांगता को दया, उपचार या कल्याण का विषय मानने के बजाय मानवाधिकार और सामाजिक न्याय के प्रश्न के रूप में स्थापित किया। यूएनसीआरपीडी के प्रमुख सिद्धांतों में व्यक्ति की अंतर्निहित गरिमा, व्यक्तिगत स्वायत्तता, गैर–भेदभाव, पूर्ण एवं प्रभावी सहभागिता, विविधता का सम्मान, अवसरों की समानता तथा सुलभता सम्मिलित हैं (यूनाइटेड नेशन्स, 2006).

भारत ने यूएनसीआरपीड का अनुमोदन वर्ष 2007 में किया, जिसके बाद देश में दिव्यांगता संबंधी विधिक ढाँचे को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने की आवश्यकता अनुभव की गई। इसी पृष्ठभूमि में भारत में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,, 2016 लागू किया गया। यूएनसीआरपीड का प्रभाव इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, विशेषकर अधिकार–आधारित दृ ष्टिकोण, समावेशी शिक्षा, सुलभता, न्याय तक पहुँच, सामाजिक सुरक्षा और स्वतंत्र जीवन जैसे प्रावधानों में। इस दृष्टि से यूएनसीआरपीड भारतीय दिव्यांग कानूनों के विकास में मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में कार्य करता है।

8.3 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,, 2016

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,, 2016 भारत में दिव्यांग

व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा हेतु सबसे महत्वपूर्ण विधिक प्रावधान है। इस अधिनियम ने पूर्ववर्ती दिव्यांगजन अधिनियम, 1995 की तुलना में अधिक व्यापक और अधिकार–आधारित दृष्टिकोण अपनाया। अधिनियम में दिव्यांगता की मान्यता प्राप्त श्रेणियों को 7 से बढ़ाकर 21 किया गया, जिसमें चलन संबंधी दिव्यांगता, दृष्टि बाधितता, श्रवण बाधितता, बौद्धिक दिव्यांगता, बहु–दिव्यांगता, ऑटिज़्म, सेरेब्रल पाल्सी, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल रोग और एसिड अटैक पीड़ितों जैसी श्रेणियाँ शामिल हैं (भारत सरकार, 2016; दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, 2026)।

इस अधिनियम में समानता और गैर–भेदभाव, समुदाय में जीवन, क्रूरता और अमानवीय व्यवहार से संरक्षण, शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास और न्याय तक पहुँच जैसे अधिकारों का प्रावधान किया गया है। अधिनियम समुचित सुविधाओं और बाधा–रहित वातावरण की अवधारणा को भी महत्व देता है, जिससे दिव्यांग व्यक्ति समाज की मुख्यधारा में समान रूप से भाग ले सकें। सरकारी नौकरियों में आरक्षण, उच्च शिक्षा में अवसर, सार्वजनिक भवनों की सुलभता और संस्थागत उत्तरदायित्व इसके महत्वपूर्ण आयाम हैं।

हालाँकि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,, 2016, ने दिव्यांग अधिकारों को विधिक रूप से सशक्त बनाया है, परंतु इसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि स्थानीय स्तर पर इसकी जानकारी, क्रियान्वयन और निगरानी किस सीमा तक प्रभावी है। जिला स्तर पर दिव्यांग प्रमाण–पत्र, पेंशन, सहायक उपकरण, पुनर्वास सेवाएँ, शिक्षा और रोजगार संबंधी सुविधाओं की वास्तविक उपलब्धता इस अधिनियम की व्यावहारिक सफलता का प्रमुख आधार है। अतः शिवपुरी जिले जैसे क्षेत्र में इस अधिनियम के क्रियान्वयन की स्थिति का अनुभवजन्य अध्ययन विशेष रूप से प्रासंगिक हो जाता है।

दिव्यांगजनों के लिए प्रमुख विधिक प्रावधान

क्रं.सं.	अधिनियम/विधि	उददेश्य
1.	भारतीय संविधान	समानता, गरिमा एवं सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना
2.	संयुक्त राष्ट्र दिव्यांग अधिकार अभिसमय	दिव्यांग व्यक्तियों के मानवाधिकारों की रक्षा
3.	दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,, 2016	शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा एवं पुनर्वास संबंधी अधिकार सुनिश्चित करना
4.	राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999	ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता एवं बहु–दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण हेतु प्रावधान
5.	पुनर्वास परिषद् अधिनियम, 1992	पुनर्वास विशेषज्ञों के प्रशिक्षण एवं मानकीकरण की व्यवस्था
6.	मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017	मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं एवं अधिकारों की सुरक्षा
7.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं समावेशी शिक्षा प्रावधान	दिव्यांग विद्यार्थियों को समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना

स्रोतः भारत सरकार द्वारा पारित अधिनियम।

8.4 राष्ट्रीय नीतियाँ एवं योजनाएँ

भारत सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएँ संचालित की हैं। इनमें सहायक उपकरणों की उपलब्धता, पुनर्वास सेवाएँ, छात्रवृत्ति, कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा और सुलभता से संबंधित कार्यक्रम शामिल हैं। एआईडीपी स्कीम का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को टिकाऊ, वैज्ञानिक रूप से निर्मित और आधुनिक सहायक उपकरण उपलब्ध कराना है, ताकि उनकी शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास प्रक्रिया को सुदृढ़ किया जा सके (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, 2024)।

इसके अतिरिक्त, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएँ, दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना, विकलांग व्यक्तियों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना, विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र परियोजना और सुगम्य भारत अभियान। जैसी पहलें दिव्यांगजन सशक्तिकरण के महत्वपूर्ण साधन हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता प्रदान करना नहीं है, बल्कि दिव्यांग व्यक्तियों को शिक्षा, कौशल, रोजगार, पहचान, गतिशीलता और सार्वजनिक सेवाओं तक समान पहुँच उपलब्ध कराना है।

फिर भी, राष्ट्रीय योजनाओं की प्रभावशीलता उनके स्थानीय क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। यदि लाभार्थियों को योजनाओं की जानकारी नहीं है, आवेदन प्रक्रिया जटिल है, प्रमाण–पत्र प्राप्त करने में कठिनाई है या पुनर्वास सेवाएँ भौगोलिक रूप से दूर हैं, तो योजनाओं का वास्तविक लाभ सीमित हो जाता है। इसीलिए शिवपुरी जिले में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और पुनर्वास की स्थिति का अध्ययन यह समझने में सहायक होगा कि राष्ट्रीय नीतियाँ स्थानीय स्तर पर किस हद तक प्रभावी सिद्ध हो रही हैं।

मध्य प्रदेश में दिव्यांगजनों को प्राप्त होने वाली प्रमुख पेंशन एवं योजनाएँ

क्रं.सं.	योजना का नाम	उददेश्य
1.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना	आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांग व्यक्तियों को मासिक पेंशन प्रदान करना
2.	सामाजिक सुरक्षा दिव्यांग पेंशन योजना (मध्य प्रदेश	दिव्यांग व्यक्तियों को नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना
3.	मुख्यमंत्री दिव्यांगजन कल्याण योजना	दिव्यांगजनों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण हेतु सहायता प्रदान करना
4.	कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण वितरण योजना	व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, बैसाखी, ट्राइसाइकिल आदि उपलब्ध कराना
5.	यूडीआईडी (यूनिक डिजिबिलिटी आई. डी.) परियोजना	दिव्यांग व्यक्तियों को एकीकृत पहचान पत्र उपलब्ध कराना
6.	छात्रवृत्ति योजना	दिव्यांग विद्यार्थियों को शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना
7.	कौशल विकास एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना	रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर बढ़ाना
8.	सुगम्य भारत अभियान	सार्वजनिक भवनों एवं सेवाओं को दिव्यांग–अनुकूल बनाना
9.	स्वरोजगार एवं ऋण सहायता योजनाएँ	दिव्यांग व्यक्तियों को उद्यमिता एवं स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना
10.	दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना	दिव्यांग व्यक्तियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना

स्रोतः भारत सरकार द्वारा संचालित योजनायें

9. अध्ययन क्षेत्र का परिचय

9.1 भौगोलिक स्थिति

शिवपुरी जिला मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित एक महत्वपूर्ण जिला है, जो ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है। लगभग 10,666 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले इस जिले की सीमाएँ मुरैना, ग्वालियर, दतिया, गुना तथा उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्राकृतिक दृष्टि से यह जिला वन संपदा, नदियों एवं माधव राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, जो इसकी भौगोलिक एवं पारिस्थितिक विशेषताओं को समृद्ध बनाती है।

9.2 सामाजिक–आर्थिक विशेषताएँ

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार शिवपुरी जिले की कुल जनसंख्या लगभग 17.25 लाख थी, जिसमें पुरुषों की संख्या महिलाओं की अपेक्षा अधिक थी। जिले का साक्षरता दर लगभग 63.73 प्रतिशत दर्ज किया गया, जो राष्ट्रीय औसत से कम थी। जिले की लगभग 17

प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है, जबकि अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है (रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यालय, 2011)।

जिले की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। गेहूँ, सोयाबीन, सरसों तथा दलहन यहाँ की प्रमुख कृषि उपज हैं। इसके अतिरिक्त, लघु उद्योग, हस्तशिल्प, चमड़ा उद्योग तथा रेशम उत्पादन जैसी गतिविधियाँ भी स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान प्रदान करती हैं (जिला प्रशासन शिवपुरी, 2026)।

शिवपुरी को भारत सरकार द्वारा पिछड़े जिलों में भी वर्गीकृत किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप इसे ''पिछड़े क्षेत्रों के लिए अनुदान निधि कार्यक्रम (बीआरजीएफ)'' के अंतर्गत सहायता प्राप्त हुई। यह तथ्य जिले के सामाजिक–आर्थिक विकास की चुनौतियों को इंगित करता है तथा दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों एवं पुनर्वास के अध्ययन को और अधिक प्रासंगिक बनाता है।

9.3 जिले में दिव्यांग जनसंख्या की स्थिति

भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का लगभग 2.21 प्रतिशत भाग दिव्यांग व्यक्तियों का था। शिवपुरी जिले में भी विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं से प्रभावित व्यक्तियों की उल्लेखनीय संख्या पाई जाती है। यद्यपि जिले में दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित नवीनतम अद्यतन आँकड़े नियमित रूप से परिवर्तित होते रहते हैं, तथापि जिला प्रशासन एवं समाज कल्याण विभाग के अभिलेखों के अनुसार जिले में दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, चलन संबंधी दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता तथा बहु–दिव्यांगता से संबंधित लाभार्थियों का पंजीकरण किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में दिव्यांग व्यक्तियों को दिव्यांगता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने, पुनर्वास सेवाओं तक पहुँच, शिक्षा एवं रोजगार के अवसरों तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ प्राप्त करने में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सामाजिक जागरूकता का अभाव, परिवहन सुविधाओं की सीमित उपलब्धता तथा संस्थागत सेवाओं की दूरी इन चुनौतियों को और अधिक जटिल बना देती है। इसलिए शिवपुरी जिले में दिव्यांग व्यक्तियों की वास्तविक स्थिति का अनुभवजन्य अध्ययन नीतिगत दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतीत होता है।

9.4 उपलब्ध पुनर्वास संस्थाएँ एवं सेवाएँ

शिवपुरी जिले में दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास एवं सशक्तिकरण हेतु विभिन्न सरकारी एवं गैर–सरकारी संस्थाएँ कार्यरत हैं। जिला स्तर पर सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्यांग प्रमाण–पत्र, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सहायक उपकरण वितरण तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, जिले में जिला पुनर्वास केन्द्र की स्थापना एवं संचालन की दिशा में प्रशासनिक प्रयास किए गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के समग्र एवं स्थायी पुनर्वास हेतु आवश्यक मानव संसाधनों की नियुक्ति से संबंधित अधिसूचनाएँ भी जारी की गई हैं (जिला प्रशासन शिवपुरी, 2023).

जिले में कार्यरत पुनर्वास संस्थाओं में प्रमुख रूप से डीडीआरसी शिवपुरी जैसी सेवाएँ सम्मिलित हैं, जहाँ दिव्यांग व्यक्तियों को परामर्श, पुनर्वास संबंधी मार्गदर्शन तथा विभिन्न योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। इसके अतिरिक्त, विशेष विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थान, सहायक उपकरण वितरण शिविर तथा समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम भी दिव्यांग व्यक्तियों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण में योगदान प्रदान करते हैं।

हालाँकि उपलब्ध संस्थागत व्यवस्थाओं के बावजूद

पुनर्वास सेवाओं की पहुँच, गुणवत्ता तथा लाभार्थियों की संतुष्टि के संबंध में अनुभवजन्य साक्ष्यों का अभाव विद्यमान है। प्रस्तुत अध्ययन इन सेवाओं की वास्तविक प्रभावशीलता का मूल्यांकन करते हुए यह समझने का प्रयास करेगा कि शिवपुरी जिले में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों एवं पुनर्वास की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इसमें सुधार की क्या संभावनाएँ उपलब्ध हैं।

10. शोध पद्धति

10.1 अध्ययन का प्रकार (वर्णनात्मक/विश्लेषणात्मक/अनुभवाश्रित)

प्रस्तुत अध्ययन वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक तथा अनुभवाश्रित प्रकृति का है। अध्ययन का उद्देश्य शिवपुरी जिले के विशेष संदर्भ में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों, पुनर्वास सेवाओं की उपलब्धता एवं प्रभावशीलता तथा सरकारी योजनाओं तक उनकी पहुँच की वास्तविक स्थिति का परीक्षण करना है। यह अध्ययन केवल तथ्यों के वर्णन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि विभिन्न सामाजिक, प्रशासनिक एवं संस्थागत कारकों के मध्य अंतर्संबंधों का विश्लेषण भी करेगा। चूँकि अध्ययन में क्षेत्रीय स्तर से प्रत्यक्ष रूप से प्राथमिक आँकड़ों का संकलन किया गया है, इसलिए इसकी प्रकृति अनुभवाश्रित मानी जाएगी (क्रेसवेल और क्रेसवेल, 2018)।

10.2 शोध डिज़ाइन

प्रस्तुत अध्ययन में मिश्रित शोध डिज़ाइन का उपयोग किया गया है। इस डिज़ाइन के अंतर्गत मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों प्रकार के आँकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण किया गया है। मात्रात्मक आँकड़ों के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों, योजनाओं तक पहुँच एवं पुनर्वास सेवाओं की स्थिति का सांख्यिकीय विश्लेषण किया गया है, जबकि गुणात्मक आँकड़ों के माध्यम से उनके अनुभवों, चुनौतियों तथा सामाजिक समावेशन से संबंधित आयामों को समझा गया है। इस प्रकार मिश्रित शोध पद्धति अध्ययन को अधिक व्यापक एवं विश्वसनीय बनाएगी (क्रेसवेल और प्लानो क्लार्क, 2018)।

10.3 अध्ययन की जनसंख्या

अध्ययन की समष्टि (यूनिवर्स) में मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के सभी पंजीकृत एवं अपंजीकृत दिव्यांग व्यक्ति सम्मिलित होंगे। इसके अतिरिक्त, अध्ययन के गुणात्मक भाग में दिव्यांग व्यक्तियों के अभिभावक, पुनर्वास सेवाओं से जुड़े कर्मचारी, जिला समाज कल्याण विभाग के अधिकारी, विशेष शिक्षकों तथा दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत गैर–सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया गया है। अध्ययन में विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं, जैसे– दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, चलन संबंधी दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता एवं बहु–दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को शामिल किया गया है, ताकि व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके।

10.4 नमूना चयन

प्रस्तुत अध्ययन में बहु–स्तरीय नमूना चयन पद्धति का उपयोग किया गया है। प्रथम चरण में शिवपुरी जिले की चयनित विकासखण्डों/तहसीलों का चयन किया गया है। द्वितीय चरण में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों से उत्तरदाताओं का चयन किया गया है। तृतीय चरण में विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं के आधार पर उद्देश्यपूर्ण नमूना चयन किया गया है, ताकि अध्ययन में विविध प्रकार के अनुभवों को सम्मिलित किया गया है।

गुणात्मक अध्ययन हेतु फोकस समूह चर्चा तथा केस अध्ययन के लिए ''उद्देश्यपूर्ण एवं सुविधा–आधारित नमूना चयन अपनाया गया है। यह पद्धति अध्ययन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयुक्त मानी जाती है (पैटन, 2015)।

10.5 नमूना आकार

मात्रात्मक अध्ययन के लिए ''50 दिव्यांग व्यक्तियों'' को उत्तरदाता के रूप में चयनित किया गया है। नमूना आकार का निर्धारण उपलब्ध संसाधनों, अध्ययन क्षेत्र की व्यापकता तथा सांख्यिकीय विश्लेषण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

गुणात्मक अध्ययन हेतु–

10 केस अध्ययन चयनित किए जाएँगे।

यह मिश्रित नमूना अध्ययन को गहनता एवं व्यापकता दोनों प्रदान करेगा।

10.6 आँकड़ा संकलन के स्रोत

(क) प्राथमिक स्रोत

(1) **साक्षात्कार अनुसूची–** दिव्यांग व्यक्तियों से संरचित एवं अर्ध–संरचित साक्षात्कार के माध्यम से अधिकारों के प्रति जागरूकता, पुनर्वास सेवाओं की उपलब्धता तथा सामाजिक अनुभवों से संबंधित जानकारी प्राप्त की जाएगी।

(2) **प्रश्नावली–** पूर्व–निर्मित द्विभाषीय (हिन्दी एवं अंग्रेज़ी) प्रश्नावली के माध्यम से सामाजिक–आर्थिक स्थिति, सरकारी योजनाओं के लाभ, शिक्षा, रोजगार एवं पुनर्वास सेवाओं से संबंधित मात्रात्मक आँकड़ों का संकलन किया गया है।

(3) **फोकस समूह चर्चा–** फोकस समूह चर्चाओं के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों की सामूहिक समस्याओं, सामाजिक दृष्टिकोणों तथा पुनर्वास संबंधी आवश्यकताओं को समझने का प्रयास किया गया है।

(4) **केस अध्ययन–** चयनित उत्तरदाताओं के जीवनानुभवों का विस्तृत अध्ययन किया गया है, जिससे अधिकारों एवं पुनर्वास की वास्तविक स्थिति का गहन विश्लेषण संभव हो सके।

(ख) द्वितीयक स्रोत

अध्ययन के लिए निम्नलिखित द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है–

- भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन की रिपोर्टें,
- जनगणना आँकड़े,
- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,, 2016 एवं संबंधित नियम,
- संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्टें,
- शोध–पत्र, पुस्तकें एवं थीसिस,
- जिला प्रशासन शिवपुरी के अभिलेख,
- समाज कल्याण विभाग की वार्षिक प्रतिवेदन।

10.7 आँकड़ों के विश्लेषण की तकनीक

अध्ययन में प्राप्त आँकड़ों का विश्लेषण मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों विधियों के माध्यम से किया गया है।

(1) **प्रतिशत विश्लेषण–** उत्तरदाताओं की सामाजिक–जनांकिकीय विशेषताओं तथा विभिन्न योजनाओं के लाभ से संबंधित आँकड़ों का प्रस्तुतीकरण प्रतिशत के माध्यम से किया गया है।

ची–स्क्वायर टेस्ट– दिव्यांगता के प्रकार, अधिकारों के प्रति रोजगार

(2) एवं पुनर्वास सेवाओं के उपयोग के मध्य संबंधों का परीक्षण करने हेतु ची–स्क्वायर टेस्ट का उपयोग किया गया है (फील्ड, 2018).

(3) **सह–संबंध विश्लेषण–** अधिकारों के प्रति जागरूकता, पुनर्वास सेवाओं की उपलब्धता एवं सामाजिक समावेशन के मध्य संबंधों का परीक्षण करने हेतु सहसंबंध विश्लेषण का प्रयोग किया गया है।

(4) **वषय–वस्तु आधारित पद्धति–** फोकस समूह चर्चाओं एवं केस अध्ययनों से प्राप्त गुणात्मक आँकड़ों का विश्लेषण विषय–वस्तु आधारित पद्धति के माध्यम से किया गया है, जिससे प्रमुख विषयों एवं अनुभवों की पहचान की जा सके (ब्रॉन और क्लार्क, 2022)।

(5) मात्रात्मक आँकड़ों के विश्लेषण के लिए ''एसपीएसएस वर्जन 26'' का उपयोग किया गया है।

10.8 नैतिक विचार

प्रस्तुत अध्ययन में शोध नैतिकता के सभी आवश्यक सिद्धांतों का पालन किया गया है। अध्ययन में भाग लेने वाले प्रत्येक प्रतिभागी से ''पूर्व सूचित सहमति'' प्राप्त की जाएगी। उत्तरदाताओं को अध्ययन के उद्देश्य, उनकी सहभागिता की प्रकृति तथा किसी भी समय अध्ययन से हटने के अधिकार के संबंध में स्पष्ट जानकारी प्रदान की गयी है।

सभी प्रतिभागियों की पहचान एवं व्यक्तिगत जानकारी को गोपनीय रखा गया है तथा केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया है। अध्ययन में किसी भी प्रकार की शारीरिक, मानसिक अथवा सामाजिक क्षति से बचने के लिए विशेष सावधानी बरती गयी है। दिव्यांग प्रतिभागियों की आवश्यकताओं के अनुरूप संचार की वैकल्पिक विधियों, जैसे सरल भाषा, सांकेतिक भाषा अथवा सहयोगी व्यक्तियों की सहायता का उपयोग किया गया है। शोध प्रक्रिया के दौरान सम्मान, गरिमा एवं स्वायत्तता के सिद्धांतों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गयी है (अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, 2020)।

11. दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास में न्यायपालिका की भूमिका

भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका संविधान की संरक्षक होने के साथ–साथ समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दिव्यांग व्यक्तियों के संदर्भ में न्यायपालिका ने केवल संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या तक स्वयं को सीमित नहीं रखा है, बल्कि मानव गरिमा, समानता, सामाजिक न्याय तथा समावेशी विकास के सिद्धांतों को आधार बनाकर उनके अधिकारों के संरक्षण एवं पुनर्वास को सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। न्यायिक सक्रियता के माध्यम से न्यायालयों ने यह स्पष्ट किया है कि दिव्यांग व्यक्तियों को समाज की मुख्यधारा में समान अवसरों के साथ जीवनयापन करने का अधिकार प्राप्त है और राज्य का दायित्व है कि वह उनके पुनर्वास एवं सशक्तिकरण हेतु प्रभावी उपाय सुनिश्चित करे। इस सम्बन्ध में न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण निर्णय पारित किये है, जो कि निम्नलिखित है–

दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्र में न्यायपालिका का योगदान विशेष रूप से शिक्षा एवं रोजगार से संबंधित मामलों में दिखाई देता है। ''***जीता घोष बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया (2016)*** '' मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिव्यांग व्यक्तियों की गरिमा एवं सम्मान को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करते हुए यह कहा कि उनके साथ किसी भी प्रकार का अपमानजनक व्यवहार अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य एवं सार्वजनिक संस्थानों का दायित्व है कि वे दिव्यांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुरूप सुविधाएँ उपलब्ध कराएँ। इस निर्णय ने पुनर्वास को केवल चिकित्सीय प्रक्रिया न मानकर गरिमामय जीवन और सामाजिक समावेशन से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया।

इसी प्रकार, ''***राजीव रातुरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया***

(2016)' मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक भवनों, परिवहन एवं अन्य संस्थागत व्यवस्थाओं को दिव्यांग–अनुकूल बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। न्यायालय ने कहा कि सुलभ वातावरण का निर्माण दिव्यांग व्यक्तियों की स्वतंत्रता, गतिशीलता तथा सामाजिक सहभागिता के लिए आवश्यक है। इस निर्णय ने पुनर्वास की अवधारणा को व्यापक बनाते हुए उसे सामाजिक एवं भौतिक अवरोधों को दूर करने से जोड़ा।

रोजगार के क्षेत्र में भी न्यायपालिका ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ''*यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइण्ड (2013)* '' मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरियों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण के प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि आरक्षण केवल औपचारिक प्रावधान नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय एवं समान अवसरों की संवैधानिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। रोजगार के अवसर दिव्यांग व्यक्तियों के आर्थिक पुनर्वास तथा आत्मनिर्भरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं; अतः इस निर्णय ने पुनर्वास की प्रक्रिया को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,, 2016 के लागू होने के पश्चात् न्यायपालिका की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। न्यायालयों ने इस अधिनियम के अधिकार–आधारित दृष्टिकोण को स्वीकार करते हुए यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा एवं पुनर्वास से संबंधित वैधानिक प्रावधान व्यवहारिक रूप से लागू हों। विभिन्न उच्च न्यायालयों ने दिव्यांग छात्रों के लिए समुचित सुविधाओं, परीक्षा में आवश्यक सहायता तथा सार्वजनिक सेवाओं तक समान पहुँच सुनिश्चित करने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। इन निर्णयों से यह स्पष्ट होता है कि न्यायपालिका दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास को व्यापक सामाजिक समावेशन की प्रक्रिया के रूप में देखती है।

हालाँकि न्यायपालिका ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा एवं पुनर्वास को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय योगदान दिया है, फिर भी न्यायिक निर्णयों के प्रभावी क्रियान्वयन में अनेक चुनौतियाँ विद्यमान हैं। प्रशासनिक उदासीनता, संसाधनों की कमी, जागरूकता का अभाव तथा निगरानी तंत्र की सीमाएँ न्यायिक निर्देशों के पूर्ण अनुपालन में बाधक बनती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा नागरिक समाज के मध्य समन्वय स्थापित किया जाए, जिससे न्यायिक निर्णयों का वास्तविक लाभ दिव्यांग व्यक्तियों तक पहुँच सके।

12. अनुभवजन अध्ययन–

भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार और पुनर्वास के सम्बन्ध में शोधार्थी के द्वारा शिवपुरी जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से 50 दिव्यांग व्यक्तियों से साक्षात्कार एवं प्रश्नावली के माध्यम से प्रश्न पूछे गये, उत्तरदाताओं से प्राप्त जानकारी के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है कि दिव्यांग व्यक्तियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता है या नही एवं पुर्नवास के लिए सरकार के द्वारा किये जा रहे प्रयास सार्थक है या फिर चुनौतियाँ हैं। इसके सम्बन्ध में उत्तरदाताओं से प्राप्त जानकारी का विवरण निम्न प्रकार है–

विभिन्न प्रकार के चरो का विवरण

तालिका– 01

आयु सीमा तालिका

क्रं. सं.	चर	श्रेणी	आवृत्ति	प्रतिशत
01	आयु	18–30	10	20
02		31–45	25	50
03		46–60	8	16

04		60 से अधिक	7	14
	कुल	**N**	**50**	**100**

तालिका– 02
महिला/पुरूष के अधार पर तालिका

क्रं. सं.	चर	श्रेणी	आवृत्ति	प्रतिशत
01	लिंग	पुरूष	36	
02		महिला	14	
03		अन्य	0	
	कुल	**N**	50	**50**

तालिका– 03
वैवाहिक स्थिति के आधार पर तालिका

क्रं. सं.	चर	श्रेणी	आवृत्ति	प्रतिशत
01	वैवाहिक स्थिति	अविवाहित	29	
02		विवाहित	17	
03		विधवा/विधुर	4	
04		अन्य	0	
	कुल	**N**	**50**	**100**

तालिका– 04
शैक्षणिक योग्यता के आधार पर तालिका

क्रं. सं.	चर	श्रेणी	आवृत्ति	प्रतिशत
01	शैक्षणिक योग्यता	अशिक्षित	06	12
02		प्राथमिक	08	16
03		माध्यमिक	02	4
04		उच्च माध्यमिक	04	8
05		स्नातक	22	44
06		स्नातकोत्तर एवं अधिक	8	16
	कुल	**N**	**50**	**100**

तालिका– 05
निवास क्षेत्र के आधार पर तालिका

क्रं. सं.	चर	श्रेणी	आवृत्ति	प्रतिशत
01	निवास क्षेत्र	शहरी क्षेत्र	20	40
02		ग्रामीण क्षेत्र	30	60
	कुल	**N**	**50**	**100**

तालिका– 06
दिव्यांगता का प्रकार के आधार पर तालिका

क्रं. सं.	चर	श्रेणी	आवृत्ति	प्रतिशत
01	दिव्यांगता	दृष्टिबाधित	15	30
02	का प्रकार	श्रवण बाधित	12	24
03		चलन संबंधी दिव्यांगता	18	36
04		बौद्धिक दिव्यांगता	01	2
05		बहु–दिव्यांगता	04	8
06		अन्य	0	0
	कुल	**N**	**50**	**100**

तालिका– 07
दिव्यांगता का प्रतिशत के आधार पर तालिका

क्रं. सं.	चर	श्रेणी (प्रतिशत)	आवृत्ति	प्रतिशत
01	दिव्यांगता का प्रतिशत	40–60	25	50
02		61–80	14	28
03		81 एवं अधिक	11	22
	कुल	N	50	100

उत्तरदाताओं के द्वारा दिये गये उत्तरों के आधार पर अनुभव आश्रित विवरण निम्नलिखित है–

प्र.1. क्या आपको दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,, 2016 की जानकारी है?

तालिका– 08

क्रं. सं.	उत्तर	आवृत्ति (f)	प्रतिशत
01	हॉ	28	55
02	नही	22	45
	कुल	**50**	**100**

स्रोतः शोधकर्ता द्वारा क्षेत्रीय सर्वेक्षण से संकलित प्राथमिक आँकड़े (N = 50)

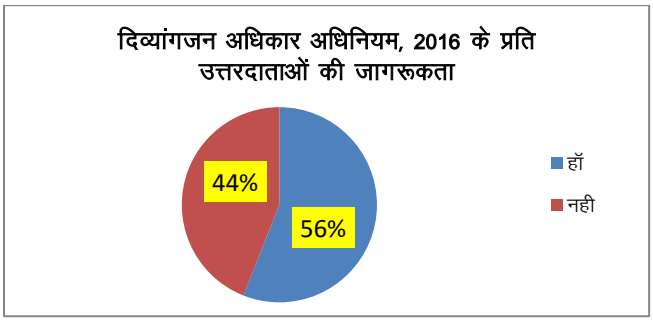

व्याख्या

तालिका नं. 08 के अनुसार स्पष्ट होता है कि अध्ययन सम्मिलित कुल 50 उत्तरदाताओं से प्रश्न पूछा गया कि उनको ''दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,, 2016 की जानकारी है'' इसके सम्बन्ध में 28 उत्तरदाओं ने ''हॉ'' में उत्तर दिया जिससे पता चलता है कि

उनको जानकारी है, जिसका प्रतिशत 55 है। जबकि 22 उत्तरदाओं के द्वारा ''नही'' में उत्तर दिया जिससे पता चलता है कि उनको जानकारी का आभाव जिसका प्रतिशत 45 है। इससे यह संकेत मिलता है कि अध्ययन क्षेत्र में दिव्यांग अधिकारों के संबंध में जागरूकता का स्तर अपेक्षाकृत संतोषजनक होने के बावजूद अभी भी एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो अपने विधिक अधिकारों से पूर्णतः परिचित नहीं है। यह स्थिति अधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं सरकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न कर सकती है। अतः दिव्यांग व्यक्तियों के मध्य अधिकारों संबंधी जागरूकता कार्यक्रमों को और अधिक सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।

प्र.2. क्या आपके पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र है?

तालिका– 09

उत्तरदाताओं के पास दिव्यांगता प्रमाण–पत्र की उपलब्धता

क्रं. सं.	उत्तर	आवृत्ति (f)	प्रतिशत
01	हॉ	42	84
02	नही	08	16
	कुल	**50**	**100**

स्रोतः शोधकर्ता द्वारा क्षेत्रीय सर्वेक्षण से संकलित प्राथमिक आँकड़े (N = 50)

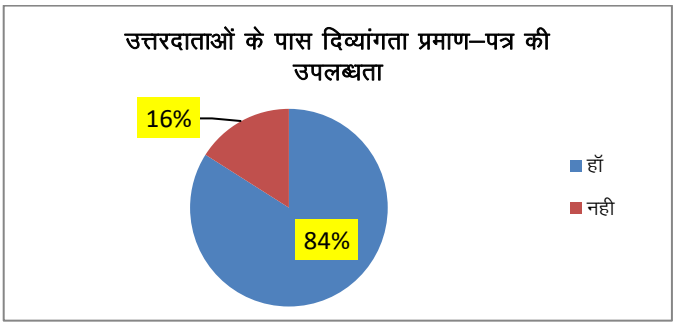

व्याख्या

तालिका 09 एवं चित्र से स्पष्ट होता है कि अध्ययन में सम्मिलित कुल 50 उत्तरदाताओं में से 42 (84 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के पास दिव्यांगता प्रमाण–पत्र उपलब्ध था, जबकि 08 (16 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के पास दिव्यांगता प्रमाण–पत्र नहीं था। यह तथ्य दर्शाता है कि अधिकांश दिव्यांग व्यक्तियों ने स्वयं को औपचारिक रूप से पंजीकृत कराया है तथा वे सरकारी योजनाओं एवं सुविधाओं के पात्र लाभार्थी बन सकते हैं। तथापि, 16 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास प्रमाण–पत्र का अभाव यह संकेत देता है कि अभी भी कुछ व्यक्तियों को प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया, जागरूकता की कमी, प्रशासनिक बाधाओं अथवा अन्य कारणों से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए जिला स्तर पर प्रमाण–पत्र निर्माण शिविरों, जागरूकता कार्यक्रमों तथा सरल प्रशासनिक प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, ताकि सभी पात्र दिव्यांग व्यक्ति अपने अधिकारों एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें।

प्र. 3. क्या आपके पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र है?

तालिका– 10

दिव्यांग व्यक्तियों हेतु सरकारी योजनाओं के प्रति उत्तरदाताओं की जागरूकता

क्रं. सं.	उत्तर	आवृत्ति (f)	प्रतिशत
01	पूर्णतः	19	38
02	आंशिक रूप से	18	36
03	बिल्कुल नहीं	13	26
	कुल	**50**	**100**

स्रोतः शोधकर्ता द्वारा क्षेत्रीय सर्वेक्षण से संकलित प्राथमिक आँकड़े (N = 50)

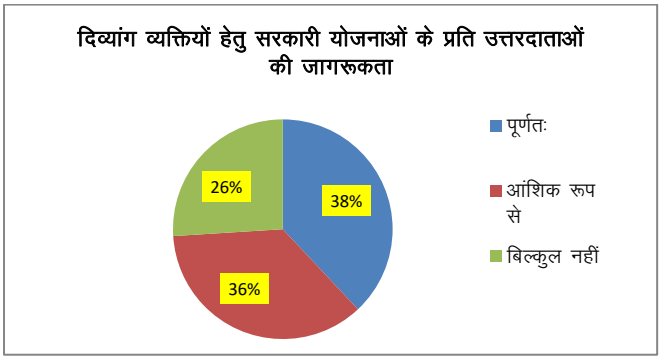

व्याख्या

तालिका 10 एवं चित्र से स्पष्ट होता है कि अध्ययन में सम्मिलित कुल 50 उत्तरदाताओं में से 19 (38 प्रतिशत) उत्तरदाता दिव्यांग व्यक्तियों हेतु संचालित सरकारी योजनाओं के बारे में पूर्णतः जागरूक थे, जबकि 18 (36 प्रतिशत) उत्तरदाता योजनाओं की जानकारी से आंशिक रूप से परिचित थे। इसके विपरीत, 13 (26 प्रतिशत) उत्तरदाताओं को सरकारी योजनाओं के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी।

प्र.4. आपको इन योजनाओं की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है?

तालिका– 11

सरकारी योजनाओं की जानकारी के स्रोत

क्रं. सं.	उत्तर	आवृत्ति (f)	प्रतिशत
01	सरकारी अधिकारी	04	08
02	मीडिया	33	65
03	एन.जी.ओ.	05	10
04	मित्र/परिवार	07	15
05	अन्य	01	02
	कुल	**50**	**100**

स्रोतः शोधकर्ता द्वारा क्षेत्रीय सर्वेक्षण से संकलित प्राथमिक आँकड़े (N = 50)

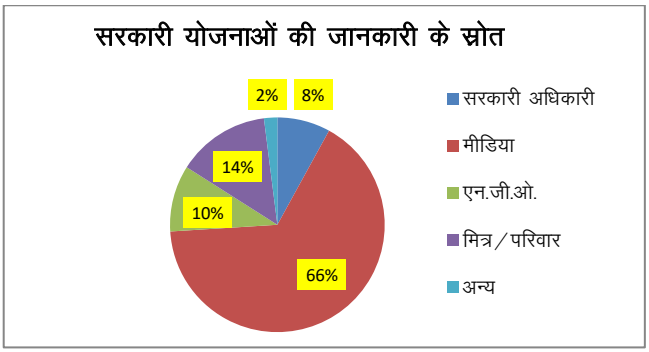

व्याख्या

तालिका 11 एवं चित्र से स्पष्ट होता है कि दिव्यांग व्यक्तियों हेतु संचालित सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत मीडिया रहा, जहाँ से 33 (65 प्रतिशत) उत्तरदाताओं को जानकारी प्राप्त हुई। इसके बाद मित्र/परिवार का स्थान रहा, जिनके माध्यम से 7 (15 प्रतिशत) उत्तरदाताओं को योजनाओं की जानकारी मिली। एन.जी.ओ. के माध्यम से 5 (10 प्रतिशत) उत्तरदाताओं, जबकि सरकारी अधिकारियों के माध्यम से केवल 4 (8 प्रतिशत) उत्तरदाताओं को जानकारी प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त, 1 (2 प्रतिशत) उत्तरदाता ने अन्य स्रोतों का उल्लेख किया।

प्र. 5. क्या आपको शिक्षा प्राप्त करने में किसी प्रकार की बाधा का सामना करना पड़ा?

तालिका– 12

शिक्षा प्राप्त करने में बाधाओं का सामना

क्रं. सं.	उत्तर	आवृत्ति (f)	प्रतिशत
01	हॉ	27	54
02	नही	23	46
बाधायें	• लोग मेरा मज़ाक उड़ाते हैं। • लोग मुझे हेय दृष्टि से देखते हैं। • दिव्यांग होने के कारण सहपाठियों का व्यवहार अच्छा नहीं रहता। • विद्यालय में आत्मविश्वास की कमी महसूस होती है।		
	कुल	**50**	**100**

स्रोतः शोधकर्ता द्वारा क्षेत्रीय सर्वेक्षण से संकलित प्राथमिक आँकड़े (N = 50)

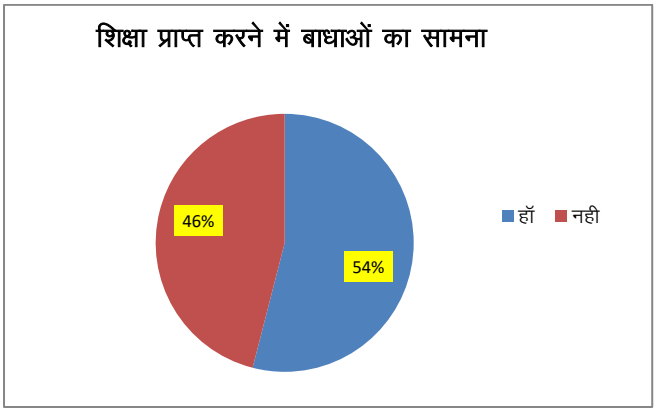

व्याख्या

तालिका 12 एवं चित्र से स्पष्ट होता है कि अध्ययन में सम्मिलित कुल 50 उत्तरदाताओं में से 27 (54 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने शिक्षा प्राप्त करने में किसी न किसी प्रकार की बाधा का सामना करने की बात कही, जबकि 23 (46 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने बताया कि उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में किसी विशेष बाधा का सामना नहीं करना पड़ा।

जिन उत्तरदाताओं ने बाधाओं का उल्लेख किया, उनमें प्रमुख रूप से सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याएँ सामने आईं। अनेक उत्तरदाताओं ने बताया कि लोग उनका मज़ाक उड़ाते हैं, जिसके कारण उनमें हीनभावना और आत्मविश्वास की कमी उत्पन्न होती है। कुछ उत्तरदाताओं ने यह भी कहा कि लोग उन्हें हेय दृष्टि से देखते हैं, जिससे विद्यालय एवं समाज में उनके प्रति नकारात्मक व्यवहार का अनुभव होता है। इस प्रकार की सामाजिक मानसिकता दिव्यांग व्यक्तियों की शैक्षिक प्रगति एवं सामाजिक समावेशन में गंभीर बाधा उत्पन्न करती है।

गुणात्मक प्रतिक्रियाएँ

- उत्तरदाताओं द्वारा व्यक्त प्रमुख बाधाएँः
- लोग मेरा मज़ाक उड़ाते हैं।

- लोग मुझे हेय दृष्टि से देखते हैं।
- दिव्यांग होने के कारण सहपाठियों का व्यवहार अच्छा नहीं रहता।
- विद्यालय में आत्मविश्वास की कमी महसूस होती है।

प्र. 6. क्या आप वर्तमान में रोजगार में संलग्न हैं ?

तालिका– 13
रोजगार सम्बन्धी जानकारी

क्रं. सं.	उत्तर	आवृत्ति (f)	प्रतिशत
01	हॉ	22	44
02	नही	28	56
यदि नहीं, तो मुख्य कारण क्या है?	• अवसरों की कमी • कौशल की कमी • भेदभाव • स्वास्थ्य कारण • अन्य		
	कुल	**50**	**100**

स्रोतः शोधकर्ता द्वारा क्षेत्रीय सर्वेक्षण से संकलित प्राथमिक आँकड़े (N = 50)

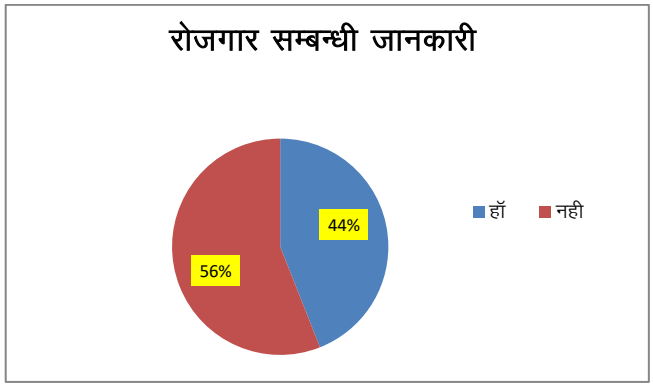

व्याख्या

तालिका 13 एवं चित्र से स्पष्ट होता है कि अध्ययन में सम्मिलित उत्तरदाताओं में से 44 प्रतिशत उत्तरदाता वर्तमान में किसी न किसी प्रकार के रोजगार में संलग्न हैं, जबकि 55 प्रतिशत उत्तरदाता बेरोजगार हैं। यह स्थिति दर्शाती है कि दिव्यांग व्यक्तियों का एक बड़ा वर्ग अभी भी रोजगार के अवसरों से वंचित है। बेरोजगार उत्तरदाताओं द्वारा बताए गए प्रमुख कारणों में रोजगार के अवसरों की कमी, आवश्यक कौशल का अभाव, कार्यस्थलों पर भेदभावपूर्ण व्यवहार तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ शामिल हैं। कुछ उत्तरदाताओं ने अन्य व्यक्तिगत एवं सामाजिक कारणों का भी उल्लेख किया।

प्र. 7. क्या आपने किसी पुनर्वास सेवा का लाभ लिया है?

तालिका– 14
पुनर्वास सेवाओं का लाभ प्राप्त करने की स्थिति

क्रं. सं.	उत्तर	आवृत्ति (f)	प्रतिशत
01	हॉ	08	16
02	नही	42	84
यदि हाँ, तो कौन–सी सेवाएँ प्राप्त हुईं?	• फिजियोथेरेपी • व्यावसायिक प्रशिक्षण • सहायक उपकरण • परामर्श सेवाएँ • अन्य		
	कुल	**50**	**100**

स्रोतः शोधकर्ता द्वारा क्षेत्रीय सर्वेक्षण से संकलित प्राथमिक आँकड़े (N = 50)

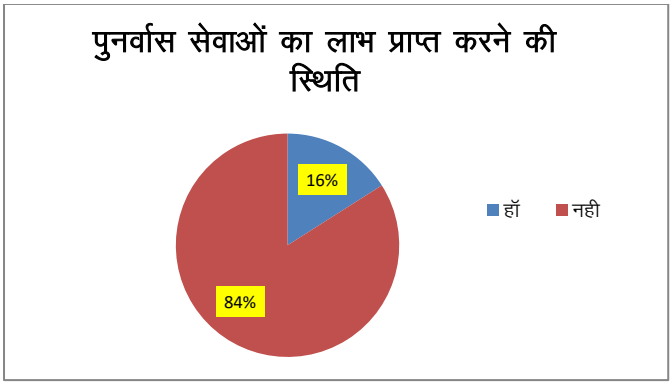

व्याख्या

तालिका 14 एवं चित्र से स्पष्ट होता है कि अध्ययन में सम्मिलित कुल 50 उत्तरदाताओं में से केवल 16 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने किसी प्रकार की पुनर्वास सेवा का लाभ प्राप्त किया है, जबकि 84 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने किसी भी पुनर्वास सेवा का लाभ प्राप्त नहीं किया। यह निष्कर्ष दर्शाता है कि अध्ययन क्षेत्र में पुनर्वास सेवाओं की पहुँच अपेक्षाकृत सीमित है तथा अधिकांश दिव्यांग व्यक्ति उपलब्ध सेवाओं से वंचित हैं।

पुनर्वास सेवाएँ दिव्यांग व्यक्तियों की शारीरिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक क्षमताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके बावजूद अधिकांश उत्तरदाताओं द्वारा इन सेवाओं का लाभ न लिया जाना यह संकेत देता है कि पुनर्वास कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता का अभाव, सेवाओं की सीमित उपलब्धता, प्रशासनिक कठिनाइयाँ, परिवहन संबंधी समस्याएँ अथवा आर्थिक बाधाएँ उनकी पहुँच में अवरोध उत्पन्न कर सकती हैं।

प्र. 8. आप पुनर्वास सेवाओं की गुणवत्ता से कितने

संतुष्ट हैं?

तालिका– 15
पुनर्वास सेवाओं की गुणवत्ता के प्रति उत्तरदाताओं की संतुष्टि

क्रं. सं.	उत्तर	आवृत्ति (f)	प्रतिशत
01	बहुत संतुष्ट	02	4
02	संतुष्ट	10	20
03	असंतुष्ट	30	60
04	अत्यंत असंतुष्ट	08	16
	कुल	**50**	**100**

स्रोतः शोधकर्ता द्वारा क्षेत्रीय सर्वेक्षण से संकलित प्राथमिक आँकड़े (N = 50)

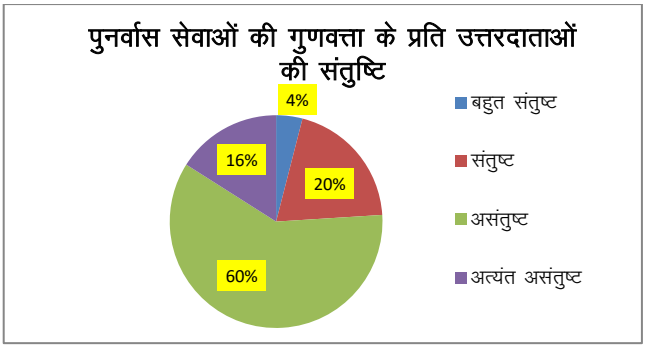

व्याख्या

तालिका 15 एवं चित्र से स्पष्ट होता है कि अध्ययन में सम्मिलित कुल 50 उत्तरदाताओं में से केवल 2 (4 प्रतिशत) उत्तरदाता पुनर्वास सेवाओं की गुणवत्ता से बहुत संतुष्ट थे, जबकि 10 (20 प्रतिशत) उत्तरदाता संतुष्ट पाए गए। इसके विपरीत, 30 (60 प्रतिशत) उत्तरदाता पुनर्वास सेवाओं की गुणवत्ता से असंतुष्ट थे तथा 8 (16 प्रतिशत) उत्तरदाता अत्यंत असंतुष्ट पाए गए।

इन आँकड़ों से स्पष्ट है कि अधिकांश उत्तरदाता उपलब्ध पुनर्वास सेवाओं की गुणवत्ता को संतोषजनक नहीं मानते हैं। कुल मिलाकर 76 प्रतिशत उत्तरदाताओं (60 प्रतिशत + 16 प्रतिशत) ने असंतोष व्यक्त किया, जो पुनर्वास सेवाओं की प्रभावशीलता, उपलब्धता एवं गुणवत्ता के संबंध में गंभीर चिंताओं को दर्शाता है। यह स्थिति संकेत करती है कि पुनर्वास सेवाओं में पर्याप्त संसाधनों, प्रशिक्षित विशेषज्ञों, आधुनिक उपकरणों तथा लाभार्थी–केंद्रित दृष्टिकोण की कमी हो सकती है।

प्र. 9. क्या आप दिव्यांग पेंशन प्राप्त कर रहे हैं ?

तालिका– 16
दिव्यांग पेंशन प्राप्त करने की स्थिति

क्रं. सं.	उत्तर	आवृत्ति (f)	प्रतिशत
01	हॉ	30	60
02	नही	20	40
	कुल	**50**	**100**

स्रोतः शोधकर्ता द्वारा क्षेत्रीय सर्वेक्षण से संकलित प्राथमिक आँकड़े (N = 50)

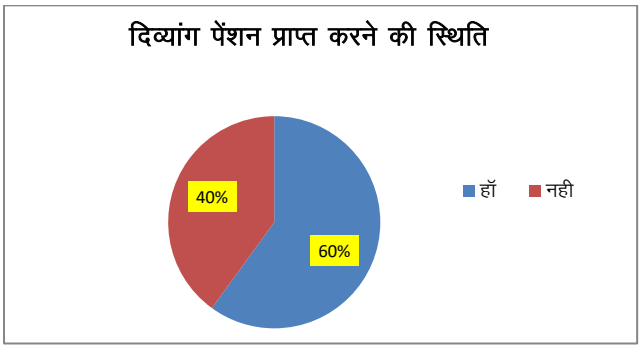

व्याख्या

तालिका 16 एवं चित्र से स्पष्ट होता है कि अध्ययन में सम्मिलित कुल 50 उत्तरदाताओं में से 30 उत्तरदाता दिव्यांग पेंशन प्राप्त कर रहे है, जिनका प्रतिशत 60, जबकि 20 उत्तरदाता किसी प्रकार की दिव्यांग पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे है, जिनका प्रतिशत 40।

यह निष्कर्ष दर्शाता है कि अधिकांश दिव्यांग व्यक्तियों तक सामाजिक सुरक्षा योजना के रूप में दिव्यांग पेंशन का लाभ पहुँच रहा है। दिव्यांग पेंशन आर्थिक रूप से कमजोर एवं आश्रित दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जो उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायक होती है।

हालाँकि, अध्ययन में यह भी पाया गया कि 40 प्रतिशत उत्तरदाता अभी भी इस सुविधा से वंचित हैं। इसके संभावित कारणों में दिव्यांगता प्रमाण–पत्र का अभाव, योजनाओं के प्रति अपर्याप्त जागरूकता, प्रशासनिक प्रक्रियाओं की जटिलता, पात्रता संबंधी समस्याएँ अथवा आवेदन प्रक्रिया में आने वाली कठिनाइयाँ सम्मिलित हो सकती हैं। यह स्थिति संकेत करती है कि सभी पात्र दिव्यांग व्यक्तियों तक पेंशन योजना का लाभ पहुँचाने के लिए प्रशासनिक प्रयासों एवं जागरूकता कार्यक्रमों को और अधिक सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।

प्र. 10. क्या आपको समाज में भेदभाव का अनुभव होता है?

तालिका– 17
समाज में दिव्यांगता के कारण भेदभाव के अनुभव की स्थिति

क्रं. सं.	उत्तर	आवृत्ति (f)	प्रतिशत
01	अक्सर	20	40
02	कभी–कभी	18	35
03	कभी नहीं	12	25
	कुल	**50**	**100**

स्रोतः शोधकर्ता द्वारा क्षेत्रीय सर्वेक्षण से संकलित प्राथमिक आँकड़े (N = 50)

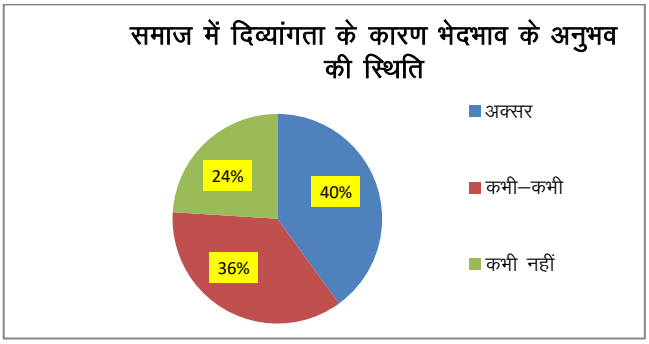

व्याख्या

तालिका 16 एवं चित्र से स्पष्ट होता है कि अध्ययन में सम्मिलित कुल 50 उत्तरदाताओं में से 20 (40 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने बताया कि उन्हें समाज में उनकी दिव्यांगता के कारण अक्सर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। वहीं 18 (35 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने कहा कि उन्हें कभी–कभी भेदभाव का अनुभव होता है, जबकि केवल 12 (25 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने बताया कि उन्हें कभी भी भेदभाव का अनुभव नहीं हुआ।

अध्ययन के निष्कर्ष यह दर्शाते हैं कि कुल 75 प्रतिशत उत्तरदाता (40 प्रतिशत + 35 प्रतिशत) किसी न किसी स्तर पर सामाजिक भेदभाव का अनुभव करते हैं। यह स्थिति समाज में दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति विद्यमान नकारात्मक दृष्टिकोण, सामाजिक पूर्वाग्रह तथा संवेदनशीलता की कमी को इंगित करती है। भेदभावपूर्ण व्यवहार न केवल दिव्यांग व्यक्तियों के आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को प्रभावित करता है, बल्कि शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सहभागिता तथा पुनर्वास की प्रक्रिया में भी बाधा उत्पन्न करता है।

प्र. 11. क्या आपको समाज में भेदभाव का अनुभव होता है?

तालिका– 18
सार्वजनिक स्थानों की दिव्यांग–अनुकूलता के संबंध में उत्तरदाताओं की राय

क्रं. सं.	उत्तर	आवृत्ति (f)	प्रतिशत
01	हाँ	25	50
02	आंशिक रूप से	10	20
03	नहीं	15	30
	कुल	**50**	**100**

स्रोतः शोधकर्ता द्वारा क्षेत्रीय सर्वेक्षण से संकलित प्राथमिक आँकड़े (N = 50)

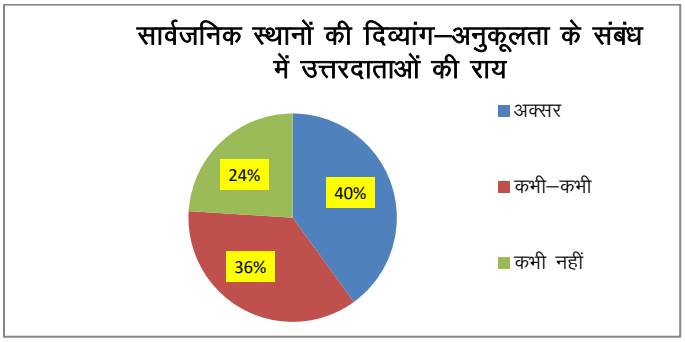

व्याख्या

तालिका 17 एवं चित्र से स्पष्ट होता है कि अध्ययन में सम्मिलित कुल 50 उत्तरदाताओं में से 25 (50 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का मानना है कि सार्वजनिक स्थान दिव्यांग–अनुकूल हैं। वहीं 10 (20 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने बताया कि सार्वजनिक स्थान केवल आंशिक रूप से दिव्यांग–अनुकूल हैं, जबकि 15 (30 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का मत है कि सार्वजनिक स्थान दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अनुकूल नहीं हैं।

इन निष्कर्षों से ज्ञात होता है कि यद्यपि आधे उत्तरदाता सार्वजनिक स्थानों को दिव्यांग–अनुकूल मानते हैं, फिर भी 50 प्रतिशत उत्तरदाताओं (20 प्रतिशत आंशिक रूप से + 30 प्रतिशत नहीं) ने वर्तमान व्यवस्थाओं को अपर्याप्त बताया है। यह स्थिति संकेत करती है कि सार्वजनिक भवनों, सरकारी कार्यालयों, स्वास्थ्य संस्थानों, शैक्षणिक संस्थाओं, परिवहन सुविधाओं तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों पर सार्वभौमिक अभिगम्यता अभी भी पूर्ण रूप से सुनिश्चित नहीं हो सकी है।

13. आँकड़ों का विश्लेषण, परिकल्पना परीक्षण एवं चर्चा

13.1 आँकड़ों का समग्र विश्लेषण

प्रस्तुत अध्ययन में शिवपुरी जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों से चयनित 50 दिव्यांग व्यक्तियों से साक्षात्कार एवं

प्रश्नावली के माध्यम से जानकारी संकलित की गई। अध्ययन का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के प्रति जागरूकता, पुनर्वास सेवाओं की उपलब्धता तथा सामाजिक समावेशन की स्थिति का परीक्षण करना था।

सामाजिक–जनांकिकीय विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि अध्ययन में सम्मिलित अधिकांश उत्तरदाता (50 प्रतिशत) 31–45 वर्ष आयु वर्ग से संबंधित थे। लिंग के आधार पर 72 प्रतिशत उत्तरदाता पुरुष तथा 28 प्रतिशत महिला थीं। अध्ययन में 60 प्रतिशत उत्तरदाता ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित पाए गए, जो यह संकेत करता है कि दिव्यांगता से जुड़ी समस्याएँ ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक व्यापक रूप से विद्यमान हैं। शिक्षा के संदर्भ में 44 प्रतिशत उत्तरदाता स्नातक स्तर तक शिक्षित थे, जबकि 12 प्रतिशत उत्तरदाता अशिक्षित पाए गए।

दिव्यांगता के प्रकार के अनुसार चलन संबंधी दिव्यांगता (36 प्रतिशत) सर्वाधिक पाई गई, जबकि दृष्टिबाधित (30 प्रतिशत) तथा श्रवण बाधित (24 प्रतिशत) उत्तरदाताओं की संख्या भी उल्लेखनीय रही। आधे उत्तरदाता (50 प्रतिशत) 40–60 प्रतिशत दिव्यांगता श्रेणी में थे।

दिव्यांग अधिकारों के प्रति जागरूकता का विश्लेषण दर्शाता है कि 55 प्रतिशत उत्तरदाताओं को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,, 2016 की जानकारी थी, जबकि 45 प्रतिशत उत्तरदाता इससे अनभिज्ञ थे। इसी प्रकार केवल 38 प्रतिशत उत्तरदाता सरकारी योजनाओं के प्रति पूर्णतः जागरूक पाए गए। इससे स्पष्ट होता है कि अधिकारों एवं योजनाओं के संबंध में जागरूकता का स्तर अभी भी सीमित है।

सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने के प्रमुख स्रोत के रूप में मीडिया (65 प्रतिशत) सामने आया, जबकि सरकारी अधिकारियों की भूमिका केवल 8 प्रतिशत तक सीमित रही। यह स्थिति दर्शाती है कि प्रशासनिक स्तर पर योजनाओं के प्रचार–प्रसार को और अधिक प्रभावी बनाए जाने की आवश्यकता है।

शिक्षा के क्षेत्र में 54 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बाधाओं का अनुभव किया। उत्तरदाताओं द्वारा व्यक्त प्रमुख समस्याओं में सामाजिक उपहास, नकारात्मक दृष्टिकोण, भेदभावपूर्ण व्यवहार तथा आत्मविश्वास की कमी शामिल थीं। रोजगार के संदर्भ में 56 प्रतिशत उत्तरदाता बेरोजगार पाए गए। बेरोजगारी के प्रमुख कारणों में अवसरों की कमी, कौशल का अभाव, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ तथा सामाजिक भेदभाव सम्मिलित थे।

पुनर्वास सेवाओं की उपलब्धता का विश्लेषण दर्शाता है कि केवल 16 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने किसी प्रकार की पुनर्वास सेवा का लाभ प्राप्त किया था, जबकि 84 प्रतिशत उत्तरदाता पुनर्वास सेवाओं से वंचित थे। पुनर्वास सेवाओं की गुणवत्ता के संदर्भ में 76 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने असंतोष व्यक्त किया। यह स्थिति पुनर्वास सेवाओं की सीमित उपलब्धता तथा उनकी गुणवत्ता संबंधी कमियों को इंगित करती है।

सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत 60 प्रतिशत उत्तरदाता दिव्यांग पेंशन प्राप्त कर रहे थे, जबकि 40 प्रतिशत उत्तरदाता इससे वंचित थे। सामाजिक समावेशन के संदर्भ में 75 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने समाज में भेदभाव का अनुभव किया। सार्वजनिक स्थानों की सुलभता के संबंध में केवल 50 प्रतिशत उत्तरदाता संतुष्ट पाए गए, जबकि शेष उत्तरदाताओं ने सार्वजनिक स्थानों को आंशिक रूप से अथवा पूर्णतः असुलभ बताया।

13.2 परिकल्पना परीक्षण

- **परिकल्पनाः 1 (H_1)**

''दिव्यांग अधिकारों के प्रति जागरूकता का स्तर पुनर्वास सेवाओं के उपयोग को प्रभावित करता है।''

अध्ययन में पाया गया कि 55 प्रतिशत उत्तरदाता

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,, 2016 के प्रति जागरूक थे तथा 74 प्रतिशत उत्तरदाता किसी न किसी स्तर पर सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक थे। दूसरी ओर, केवल 16 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने पुनर्वास सेवाओं का लाभ प्राप्त किया। अध्ययन के गुणात्मक निष्कर्षों से यह स्पष्ट हुआ कि जिन उत्तरदाताओं को अपने अधिकारों एवं उपलब्ध योजनाओं की जानकारी थी, वे पुनर्वास सेवाओं एवं सरकारी सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने में अपेक्षाकृत अधिक सक्षम थे।

इस प्रकार अध्ययन से यह संकेत प्राप्त होता है कि अधिकारों के प्रति जागरूकता का स्तर पुनर्वास सेवाओं के उपयोग को प्रभावित करता है। अतः

$\mathbf{H_1}$ (वैकल्पिक परिकल्पना) स्वीकृत की जाती है।

$\mathbf{H_0}$ (शून्य परिकल्पना) अस्वीकृत की जाती है।

- **परिकल्पना 2 (H_2)**

''पुनर्वास सेवाओं की उपलब्धता और दिव्यांग व्यक्तियों के सामाजिक समावेशन के मध्य सकारात्मक संबंध है।''

अध्ययन में पाया गया कि पुनर्वास सेवाओं का लाभ प्राप्त करने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत केवल 16 था, जबकि 75 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सामाजिक भेदभाव का अनुभव किया। इसके अतिरिक्त 54 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने शिक्षा में बाधाओं तथा 56 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने रोजगार संबंधी समस्याओं का उल्लेख किया। सार्वजनिक स्थानों की सुलभता के संदर्भ में भी 50 प्रतिशत उत्तरदाता असंतुष्ट पाए गए।

ये निष्कर्ष स्पष्ट करते हैं कि जहाँ पुनर्वास सेवाओं की उपलब्धता एवं गुणवत्ता सीमित है, वहाँ सामाजिक समावेशन का स्तर भी अपेक्षाकृत निम्न है। पुनर्वास सेवाएँ शिक्षा, रोजगार, आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक सहभागिता को प्रोत्साहित करती हैं। अतः पुनर्वास सेवाओं की उपलब्धता और सामाजिक समावेशन के मध्य सकारात्मक संबंध विद्यमान है।

अतः

H_2 (वैकल्पिक परिकल्पना) स्वीकृत की जाती है।

H_0 (शून्य परिकल्पना) अस्वीकृत की जाती है।

13.3 प्रमुख निष्कर्ष

1. केवल 55 प्रतिशत उत्तरदाता दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,, 2016 के प्रति जागरूक थे।
2. केवल 84 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास दिव्यांगता प्रमाण–पत्र उपलब्ध था।
3. केवल 38 प्रतिशत उत्तरदाता सरकारी योजनाओं के प्रति पूर्णतः जागरूक पाए गए।
4. केवल 65 प्रतिशत उत्तरदाताओं को योजनाओं की जानकारी मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई।
5. केवल 54 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने शिक्षा में बाधाओं का अनुभव किया।
6. केवल 56 प्रतिशत उत्तरदाता बेरोजगार पाए गए।
7. केवल 16 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने पुनर्वास सेवाओं का लाभ प्राप्त किया।
8. केवल 76 प्रतिशत उत्तरदाता पुनर्वास सेवाओं की गुणवत्ता से असंतुष्ट थे।
9. केवल 60 प्रतिशत उत्तरदाता दिव्यांग पेंशन प्राप्त कर रहे थे।
10. केवल 75 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सामाजिक भेदभाव का अनुभव किया।
11. केवल 50 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सार्वजनिक स्थानों को पूर्णतः दिव्यांग–अनुकूल माना।

14. निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन के निष्कर्ष यह दर्शाते हैं कि शिवपुरी जिले में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों एवं पुनर्वास से

संबंधित अनेक सकारात्मक पहलें होने के बावजूद उनकी प्रभावशीलता अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुँच पाई है। यद्यपि अधिकांश उत्तरदाताओं के पास दिव्यांगता प्रमाण–पत्र उपलब्ध है तथा कुछ हद तक सरकारी योजनाओं एवं अधिकारों के प्रति जागरूकता भी विकसित हुई है, फिर भी बड़ी संख्या में दिव्यांग व्यक्ति पुनर्वास सेवाओं, रोजगार के अवसरों तथा सामाजिक समावेशन से पूर्णतः लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं।

अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि पुनर्वास सेवाओं का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है तथा उपलब्ध सेवाओं की गुणवत्ता के प्रति अधिकांश उत्तरदाताओं ने असंतोष व्यक्त किया। इसके अतिरिक्त शिक्षा, रोजगार, सामाजिक स्वीकृति एवं सार्वजनिक सुविधाओं तक पहुँच के क्षेत्र में भी अनेक व्यावहारिक कठिनाइयाँ विद्यमान हैं। समाज में भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण, जागरूकता की कमी तथा सुलभ अवसंरचना का अभाव दिव्यांग व्यक्तियों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण बाधाएँ उत्पन्न कर रहे हैं।

शोध के निष्कर्ष यह भी संकेत करते हैं कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की वास्तविक प्राप्ति केवल विधिक प्रावधानों या कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण से संभव नहीं है, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन, स्थानीय स्तर पर निगरानी, संस्थागत सहयोग तथा समुदाय की सक्रिय सहभागिता पर निर्भर करती है। पुनर्वास सेवाओं की पहुँच बढ़ाने, कौशल विकास एवं रोजगारोन्मुख कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने, सामाजिक जागरूकता को प्रोत्साहित करने तथा सार्वजनिक स्थलों को पूर्णतः दिव्यांग–अनुकूल बनाने की आवश्यकता है।

अतः यह कहा जा सकता है कि दिव्यांग व्यक्तियों का सशक्तिकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है, जिसमें अधिकारों की जानकारी, सामाजिक स्वीकृति, आर्थिक आत्मनिर्भरता, गुणवत्तापूर्ण पुनर्वास सेवाएँ तथा समान अवसरों की उपलब्धता समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। यदि इन सभी आयामों पर समन्वित रूप से कार्य किया जाए, तो दिव्यांग व्यक्तियों को समाज की मुख्यधारा में सम्मान, गरिमा एवं समान सहभागिता के साथ सम्मिलित किया जा सकता है, जो समावेशी एवं न्यायपूर्ण समाज की स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

15. सुझाव

अध्ययन के दौरान उत्तरदाताओं द्वारा व्यक्त विचारों एवं प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों एवं पुनर्वास की स्थिति में सुधार हेतु निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं–

1. दिव्यांग पेंशन की राशि में वृद्धि की जाए। अध्ययन में अधिकांश उत्तरदाताओं ने यह मत व्यक्त किया कि वर्तमान में प्राप्त होने वाली 600 रू. प्रतिमाह की दिव्यांग पेंशन वर्तमान महँगाई की परिस्थितियों में उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। उत्तरदाताओं का मानना था कि अन्य राज्यों में दिव्यांग पेंशन की राशि अपेक्षाकृत अधिक प्रदान की जा रही है। अतः मध्य प्रदेश शासन को दिव्यांग पेंशन की राशि में वृद्धि कर उसे जीवन–निर्वाह के लिए अधिक उपयोगी एवं प्रभावी बनाने पर विचार करना चाहिए।
2. जिला स्तर पर दिव्यांग सहायता एवं संसाधन केन्द्र की स्थापना की जाए। अनेक उत्तरदाताओं ने सुझाव दिया कि शिवपुरी जिले में एक ऐसे समर्पित केन्द्र की स्थापना की जानी चाहिए, जहाँ विभिन्न प्रकार की दिव्यांगता वाले व्यक्ति नियमित रूप से मिल सकें, परामर्श प्राप्त कर सकें तथा अपनी समस्याओं एवं आवश्यकताओं पर चर्चा कर सकें। ऐसा केन्द्र दिव्यांग व्यक्तियों के सामाजिक,

मनोवैज्ञानिक एवं सामुदायिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

3. दिव्यांग व्यक्तियों की भागीदारी को संस्थागत नेतृत्व में प्राथमिकता दी जाए। उत्तरदाताओं का मत था कि दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित संस्थाओं एवं समितियों में नेतृत्वकारी पदों पर दिव्यांग व्यक्तियों को भी अवसर दिया जाना चाहिए। इससे उनकी वास्तविक समस्याओं एवं आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझा जा सकेगा तथा योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन अधिक संवेदनशील एवं प्रभावी रूप से किया जा सकेगा।
4. घरेलू एवं कुटीर आधारित रोजगार के अवसर विकसित किए जाएँ। अध्ययन में अनेक दिव्यांग व्यक्तियों ने ऐसी रोजगारपरक गतिविधियों की आवश्यकता व्यक्त की जिन्हें वे अपने घर अथवा स्थानीय स्तर पर रहकर संचालित कर सकें। अतः शासन एवं संबंधित विभागों को कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प, पैकेजिंग, डिजिटल सेवाओं तथा अन्य गृह–आधारित स्वरोजगार गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे दिव्यांग व्यक्तियों की आर्थिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित हो सके।
5. डिजिटल एवं मोबाइल आधारित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किए जाएँ। उत्तरदाताओं ने मोबाइल संचालन, डिजिटल सेवाओं, ऑनलाइन कार्यों तथा सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। वर्तमान डिजिटल युग में ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम दिव्यांग व्यक्तियों को घर बैठे रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं।
6. पुनर्वास सेवाओं की पहुँच एवं गुणवत्ता में सुधार किया जाए। अध्ययन में अधिकांश उत्तरदाताओं ने पुनर्वास सेवाओं की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के प्रति असंतोष व्यक्त किया। अतः फिजियोथेरेपी, परामर्श सेवाएँ, सहायक उपकरण, व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं अन्य पुनर्वास सुविधाओं का विस्तार किया जाना आवश्यक है, ताकि अधिकाधिक दिव्यांग व्यक्ति इन सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकें।
7. अधिकारों एवं सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए। यद्यपि अनेक उत्तरदाता दिव्यांग अधिकारों एवं योजनाओं के बारे में जानकारी रखते थे, फिर भी एक बड़ा वर्ग अभी भी जागरूकता के अभाव से ग्रस्त पाया गया। इसलिए ग्राम पंचायतों, शैक्षणिक संस्थानों, मीडिया तथा सामाजिक संगठनों के माध्यम से नियमित जागरूकता अभियान संचालित किए जाने चाहिए।
8. सार्वजनिक स्थानों को पूर्णतः दिव्यांग–अनुकूल बनाया जाए। सार्वजनिक भवनों, परिवहन सेवाओं, स्वास्थ्य केन्द्रों तथा शैक्षणिक संस्थानों में रैम्प, रेलिंग, व्हीलचेयर सुविधा, दिव्यांग–अनुकूल शौचालय तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए, जिससे दिव्यांग व्यक्तियों की स्वतंत्र एवं सम्मानजनक भागीदारी संभव हो सके।
9. सामाजिक संवेदनशीलता एवं समावेशी दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया जाए। अध्ययन में अनेक उत्तरदाताओं ने सामाजिक उपेक्षा, उपहास एवं भेदभाव का अनुभव व्यक्त किया। अतः समाज में दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने हेतु जन–जागरूकता कार्यक्रम, सामुदायिक संवाद एवं समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
10. रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण एवं उद्यमिता विकास कार्यक्रमों को सुदृढ़ किया जाए। दिव्यांग व्यक्तियों

की योग्यता एवं क्षमता के अनुरूप विशेष कौशल विकास कार्यक्रम संचालित किए जाने चाहिए, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और सम्मानजनक जीवनयापन कर सकें।

References

बालकृष्णन, ए. (2019). 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016: मानसिक स्वास्थ्य संबंधी निहितार्थ एवं चुनौतियाँ'। 'इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल मेडिसिन,[https://doi.org/10.4103/IJPSYM.IJPSYM_59_19]

बरमन, एम. (2024). 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 का मूल्यांकनः भारत में दिव्यांग अधिकारों की चुनौतियाँ एवं प्रगति'। सेंटर फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी एंड प्रैक्टिस। https://www.cdpp.co.in/articles/towards-inclusivity-assessing-the-rights-of-persons-with-disabilities-act-2016

बार्न्स, सी., एवं मर्सर, जी. (2010). 'दिव्यांगता का अन्वेषण' (द्वितीय संस्करण)। पॉलिटी प्रेस।

चंद्रशेखर, एच., एवं कुमार, सी. एन. (2010). 'भारत में दिव्यांगता संबंधी अनुसंधान'। 'इंडियन जर्नल ऑफ साइकियाट्री, 52'(पूरक 1), S281–S285.[https://doi.org/10.4103/0019-5545.69261]

चौहान, यू. एम., सिंह, ए., एवं शर्मा, एन. (2022). 'भारत में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के क्रियान्वयन में बाधाओं के प्रति देखभालकर्ताओं की धारणा'। 'डिसएबिलिटी एंड रिहैबिलिटेशन, 44'(24), 7721–7728। [https://doi.org/10.1080/17450128.2021.1910760]

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग। (2024). 'दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित अधिनियम, नियम एवं विनियम'। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार। [https://depwd.gov.in/en/acts/]

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग। (2024). 'सुगम्य भारत अभियान'। भारत सरकार। [https://depwd.gov.in]

भारत सरकार। (2016). 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016' (अधिनियम संख्या 49, 2016)। विधि एवं न्याय मंत्रालय। [https://www.indiacode.nic.in]

मध्य प्रदेश शासन। (2024). 'सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग कल्याण विभागरू पेंशन एवं कल्याणकारी योजनाएँ'। मध्य प्रदेश शासन। [https://socialjustice.mp.gov.in]

ग्रोस, एन., केट, एम., लैंग, आर., एवं त्रानी, जे. एफ. (2011). 'दिव्यांगता और गरीबीः विकास नीति एवं व्यवहार के लिए गहन समझ की आवश्यकता'। 'थर्ड वर्ल्ड क्वार्टरली, 32'(8), 1493–1513। [https://doi.org/10.1080/01436597.2011.604520]

कुमार, एस., एवं गुप्ता, एन. (2021). 'भारत में दिव्यांग अधिकार एवं सामाजिक समावेशनः उभरती चुनौतियाँ एवं अवसर'। 'जर्नल ऑफ सोशल इन्क्लूज़न स्टडीज़, 7'(2), 145–160।

कुलसुम, एस. टी., गोपाल, के. एम., एवं अग्रवाल, ए. (2024). 'भारत में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 का व्यापक मूल्यांकनः क्रियान्वयन एवं प्रभाव का अध्ययन'। 'इंटरनेशनल जर्नल फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च, 6'(6)।

लैंग, आर., केट, एम., ग्रोस, एन., एवं त्रानी, जे. एफ. (2011). 'संयुक्त राष्ट्र दिव्यांग अधिकार अभिसमय का क्रियान्वयनः सिद्धांत, प्रभाव, व्यवहार एवं सीमाएँ'। 'ऑल्टर, 5'(3), 206–220। [https://doi.org/10.1016/j.alter.2011.02.004]

माथ, एस. बी., गौड़ा, जी. एस., बसवराजु, वी., मंजूनाथ, एन., एवं कुमार, सी. एन. (2019). 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016: चुनौतियाँ एवं अवसर'। 'इंडियन जर्नल ऑफ साइकियाट्री, 61'(पूरक 4), S809–S815. [https://doi.org/10.4103/psychiatry.IndianJPsychiatry_579_18]

मेहरोत्रा, एन. (2013). 'दिव्यांगता, लिंग एवं जातिः भारत में हाशिए की पहचानें'। 'इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 48'(18), 69–76।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। (2024). 'यूनीक डिसेबिलिटी आईडी (UDID) परियोजना'। भारत सरकार। [https://www.swavlambancard.gov.in]

मित्रा, एस. (2006). 'क्षमता दृष्टिकोण और दिव्यांगता'। 'जर्नल ऑफ डिसएबिलिटी पॉलिसी स्टडीज़, 16'(4), 236–247। [https://doi.org/10.1177/10442073060160040501]

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। (2019). 'भारत में दिव्यांगजनः सांख्यिकीय प्रोफाइल, 2019'। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार। [https://mospi.gov.in]

राष्ट्रीय ट्रस्ट। (1999). 'राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम, 1999: ऑटिज़्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक एवं बहु–दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण हेतु'। भारत सरकार। [https://thenationaltrust.gov.in]

राष्ट्रीय दृष्टिबाधित सशक्तिकरण संस्थान। (2025). 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016, [https://niepvd.nic.in/the-rights-of-persons-with-disabilities-rpwd-act-2016/]

ओलिवर, एम. (1990). 'दिव्यांगता की राजनीति'। मैकमिलन एजुकेशन।

ओलिवर, एम., एवं बार्न्स, सी. (2012). 'दिव्यांगता की नई राजनीति'। पालग्रेव मैकमिलन।

शेक्सपीयर, टी. (2014). 'दिव्यांगताः अधिकार और पुनर्विचार' (द्वितीय संस्करण) ।रूटलेज। [https://doi.org/10.4324/9781315887456]

सिंघल, एन. (2009). 'भारत में दिव्यांग बच्चों की शिक्षा'। 'प्रॉस्पेक्ट्स, 39'(4), 481–494। [https://doi.org/10.1007/s11125-009-9125-y]

थॉमस, पी. (2005). 'विकास में दिव्यांगता का मुख्यधाराकरणः भारत देश रिपोर्ट'। विश्व बैंक।

संयुक्त राष्ट्र। (2006). 'दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर अभिसमय (CRPD)'। संयुक्त राष्ट्र। (https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convention_accessible_pdf.pdf)

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। (2016). 'भारत में दिव्यांगता समावेशी विकास'। यूएनडीपी भारत। [https://www.undp.org/india]

विश्व बैंक। (2009). 'भारत में दिव्यांग व्यक्तिः प्रतिबद्धताओं से परिणामों तक'। मानव विकास इकाई, दक्षिण एशिया क्षेत्र।

विश्व स्वास्थ्य संगठन। (2011). 'विश्व दिव्यांगता रिपोर्ट'। विश्व स्वास्थ्य संगठन। [https://www.who.int/publications/i/item/9789241564182]

विश्व स्वास्थ्य संगठन। (2022). 'दिव्यांग व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य समानता पर वैश्विक रिपोर्ट'। विश्व स्वास्थ्य संगठन। [https://www.who.int/publications/i/item/9789240052888]

योजना आयोग। (2012). 'बारहवीं पंचवर्षीय योजना में दिव्यांग व्यक्तियों के समावेशी विकास की रणनीति'। भारत सरकार।

भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। (2021). 'दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2020–21'। भारत सरकार। [https://depwd.gov.in]

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT)। (2020). 'समावेशी शिक्षाः दिव्यांग बच्चों के लिए शैक्षिक अवसर'। एनसीईआरटी। [https://ncert.nic.in]

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश शासन। (2023). 'दिव्यांगजन कल्याण योजनाएँ एवं सेवाएँ'। मध्य प्रदेश शासन। [https://socialjustice.mp.gov.in]

परिशिष्टः क

भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार और पुनर्वासः शिवपुरी जिले के विशेष संदर्भ में एक अनुभवाश्रित अध्ययन

साक्षात्कार / प्रश्नावली अनुसूची

शोधार्थी

डा. महेश प्रसाद
सहायक प्राध्यापक (विधि)
शा. श्रीमंत माधवराव सिंधिया पी.जी. कालेज, शिवपुरी (म.प्र.)

खंड – A : सामान्य जानकारी
Section – A : General Information

उत्तरदाता का नाम / Name of Respondent: _____

आयु / Age:

□ 18–30 वर्ष / years □ 31–45 वर्ष / years □ 46–60 वर्ष / years □ 60 वर्ष से अधिक / Above 60 years

लिंग / Gender: □ पुरुष / Male □ महिला / Female □ अन्य / Other

वैवाहिक स्थिति / Marital Status: □ अविवाहित / Unmarried □ विवाहित / Married □ विधवा/विधुर / Widow/Widower □ अन्य / Other

शैक्षणिक योग्यता / Educational Qualification:

□ अशिक्षित / Illiterate □ प्राथमिक / Primary □ माध्यमिक / Secondary □ उच्च माध्यमिक / Higher Secondary
□ स्नातक / Graduate □ स्नातकोत्तर एवं अधिक / Postgraduate and Above

निवास क्षेत्र / Area of Residence:

□ ग्रामीण / Rural □ शहरी / Urban

दिव्यांगता का प्रकार / Type of Disability:

□ दृष्टिबाधित / Visual Impairment □ श्रवण बाधित / Hearing Impairment □ चलन संबंधी दिव्यांगता / Locomotor Disability □ बौद्धिक दिव्यांगता / Intellectual Disability □ बहु-दिव्यांगता / Multiple Disability
□ अन्य / Other _____

दिव्यांगता का प्रतिशत / Percentage of Disability:

□ 40–60% □ 61–80% □ 81% एवं अधिक / Above 81%

खंड – B : दिव्यांग अधिकारों के प्रति जागरूकता
Section – B : Awareness of Disability Rights

---

1. क्या आपको दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की जानकारी है?
   Are you aware of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016?
   □ हाँ / Yes □ नहीं / No
2. क्या आपके पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र है?
   Do you possess a disability certificate?
   □ हाँ / Yes □ नहीं / No
3. क्या आपको सरकारी योजनाओं की जानकारी है?
   Are you aware of government welfare schemes for persons with disabilities?
   □ पूर्णतः / Fully aware □ आंशिक रूप से / Partially aware □ बिल्कुल नहीं / Not aware
4. आपको इन योजनाओं की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है?
   What is your source of information about these schemes?
   □ सरकारी अधिकारी / Government Officials □ मीडिया / Media □ NGO

□ मित्र/परिवार / Friends/Family □ अन्य / Other _____

खंड – C : शिक्षा एवं रोजगार
Section – C : Education and Employment

---

5. क्या आपको शिक्षा प्राप्त करने में किसी प्रकार की बाधा का सामना करना पड़ा?
Have you faced barriers in accessing education?
□ हाँ / Yes □ नहीं / No यदि हाँ, कृपया उल्लेख करें। If yes, please specify:_____

6. क्या आप वर्तमान में रोजगार में संलग्न हैं?
Are you currently employed?
□ हाँ / Yes □ नहीं / No
यदि नहीं, तो मुख्य कारण क्या है? If not employed, what is the main reason?
□ अवसरों की कमी / Lack of opportunities □ कौशल की कमी / Lack of skills
□ भेदभाव / Discrimination □ स्वास्थ्य कारण / Health issues □ अन्य / Other _____

खंड – D : पुनर्वास सेवाएँ
Section – D : Rehabilitation Services

---

7. क्या आपने किसी पुनर्वास सेवा का लाभ लिया है?
Have you availed any rehabilitation services?
□ हाँ / Yes □ नहीं / No
यदि हाँ, तो कौन-सी सेवाएँ प्राप्त हुईं?
If yes, which services have you received?
□ फिजियोथेरेपी / Physiotherapy □ व्यावसायिक प्रशिक्षण / Vocational Training
□ सहायक उपकरण / Assistive Devices □ परामर्श सेवाएँ / Counselling Services □ अन्य / Other ____

8. आप पुनर्वास सेवाओं की गुणवत्ता से कितने संतुष्ट हैं?
How satisfied are you with the quality of rehabilitation services?
□ बहुत संतुष्ट / Very Satisfied □ संतुष्ट / Satisfied
□ असंतुष्ट / Dissatisfied □ अत्यंत असंतुष्ट / Very Dissatisfied

---

खंड – E : सामाजिक सुरक्षा एवं समावेशन
Section – E : Social Security and Inclusion

---

9. क्या आप दिव्यांग पेंशन प्राप्त कर रहे हैं?
Are you receiving disability pension?
□ हाँ / Yes □ नहीं / No

10. क्या आपको समाज में भेदभाव का अनुभव होता है?
Do you experience discrimination in society due to your disability?
□ अक्सर / Frequently □ कभी-कभी / Sometimes □ कभी नहीं / Never

11. क्या सार्वजनिक स्थान दिव्यांग-अनुकूल हैं?
Are public places accessible for persons with disabilities?
□ हाँ / Yes □ आंशिक रूप से / Partially □ नहीं / No

खंड – F : सुझाव
Section – F : Suggestions

---

12. दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की बेहतर सुरक्षा हेतु आपके सुझाव क्या हैं?
What suggestions would you give for better protection of the rights of persons with disabilities?

---

13. पुनर्वास सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आपके सुझाव क्या हैं?
What are your suggestions for improving rehabilitation services?

****